[2018] 3 एस. सी. आर 770

शक्ति वाहिनी

वी.

भारत और अन्य का संघ

(2010 की लिखित याचिका (सिविल) सं. 232)

27 मार्च, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

सम्मान अपराध:

लिखित याचिका-राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को सम्मान से निपटने के लिए निवारक कदम उठाने का निर्देश देना।

अपराध; ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य और राष्ट्रीय कार्य योजना प्रस्तुत करना; और विशेष प्रकोष्ठों का गठन करने और ऐसे मामलों में अभियोजन शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग करना-आयोजित: सम्मान के नाम पर किसी भी प्रकार की यातना या यातना या दुर्व्यवहार जो किसी भी सभा द्वारा प्रेम और विवाह से संबंधित किसी व्यक्ति की पसंद के ह्रास के समान है, चाहे वह किसी भी नाम को मान ले, अवैध है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है-परिवार की सहमति या समुदाय या कबीले की आवश्यकता नहीं है, एक बार जब दो वयस्क व्यक्ति विवाह में प्रवेश करने के लिए सहमत हो जाते हैं-यह उनकी पसंद की अभिव्यक्ति है जिसे यू/आर्ट्स मान्यता प्राप्त है। 19 और संविधान का 21-इस तरह का संवैधानिक अधिकार की अवधारणा के आगे नहीं झुक सकता है

वर्ग सम्मान-इस तरह के अधिकार का कोई भी उल्लंघन संवैधानिक उल्लंघन है-खाप पंचायत या ऐसी सभा को कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए और आगे इसका चरित्र नहीं लेना चाहिए।

कानून लागू करने वाली एजेंसी-कानून को कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए-ऑनर किलिंग की गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में निंदा की जाती है-इसलिए, विधायिका को ऑनर किलिंग के क्षेत्र को शामिल करते हुए कानून लाने की सिफारिश की जाती है-ऑनर क्राइम के दर्दनाक प्रभाव की चुनौतियों का सामना करने के लिए, निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक उपाय करने होते हैं और इसलिए राज्यों के कार्यपालिका और प्रशासन को आगे के उपाय करने होते हैं।

उल्लिखित उद्देश्य के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करना-भारत का संविधान-अनुच्छेद 19 और 21।

शब्द और वाक्यांश:

' खाप पंचायत '-का अर्थ है।

770 शक्ति वाहिनी बनाम। भारत और अन्य का संघ

रिट याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. वर्ग सम्मान, चाहे जो भी माना जाए, किसी व्यक्ति की पसंद को बाधित नहीं कर सकता है जिसे वह भारत के अनुकंपापूर्ण संविधान के तहत प्राप्त करने का हकदार है। और स्वतंत्रता के आनंद के इस अधिकार की निरंतर और उत्साहपूर्वक रक्षा की जानी चाहिए ताकि यह ताकत के साथ पनप सके और चमक के साथ पनप सके। पुरानी व्यवस्था को नए को रास्ता देना पड़ता है। सामंती धारणा को गुमनामी में पिघलना पड़ता है जिससे स्वतंत्रता का सुगम मार्ग प्रशस्त होता है। [पैरा 1] [777-एच; 778-ए-बी]

2. भारत के विधि आयोग की 242 वीं रिपोर्ट से पता चलता है कि

अपराध का विनाशकारी प्रभाव और किसी व्यक्ति की पसंद के अधिकार और उक्त स्वतंत्रता पर सामूहिक नियंत्रण पर विनाशकारी प्रभाव। आयोग ने शक्तिशाली समुदाय के तीव्र दबाव पर जोर दिया है और कहा है कि कैसे वे "पापी जोड़ों" को उनकी सामाजिक-सांस्कृतिक धारणा और सामुदायिक सम्मान के अनुसार दंडित करते हैं और उनके द्वारा की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप व्यक्तियों के अधिकार समाप्त हो जाते हैं जो संविधान के तहत गारंटीकृत हैं। इसने अपने और अपने से संबंधित मामलों में प्रत्येक व्यक्ति की स्वायत्तता के बारे में स्पष्ट रूप से प्रचार किया है। अधिकार की अभिव्यक्ति जो उक्त व्यक्ति का अभिन्न अंग है। [पैरा 27] [790-एफ-जी]

3. विधि आयोग की 242 वीं रिपोर्ट द्वारा अनुशंसित "वैवाहिक गठबंधन की स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप का निषेध विधेयक" नामक मसौदा विधेयक में "खाप" का उल्लेख किया गया है।

पंचायत "से कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है जो किसी भी विवाह की निंदा करने के दृष्टिकोण या इरादे से किसी भी समय इकट्ठा हुआ है, इकट्ठा हुआ है या इकट्ठा हुआ है, जिसमें प्रस्तावित विवाह भी शामिल है।

विवाह, कानून द्वारा निषिद्ध नहीं है, इस आधार पर कि इस तरह के विवाह ने जाति या सामुदायिक परंपरा का अपमान किया है या लाया है

विधानसभा का हिस्सा बनने वाले सभी या किसी भी व्यक्ति या परिवार या संबंधित इलाके के लोगों को बदनाम करना। [पैरा 28] [790-एच; 791-ए]

4. अधिकारों की रक्षा महत्वपूर्ण है। हालाँकि सामाजिक उन्नति निरंतर होती रही है, फिर भी सम्मान की समस्या है

हत्या उसी तरह जारी है जैसे इतिहास ने 1750 ईसा पूर्व में हम्मुराबी संहिता के तहत देखा था। इस तरह के लोगों अपराध इस तथ्य से पूरी तरह से अनजान हो जाते हैं कि वे एक अवैध रास्ते पर नहीं चल सकते हैं, कानून नहीं तोड़ सकते हैं और कुछ [2018] 3 एस. सी. आर. के साथ औचित्य प्रदान करते हैं।

आज्ञाकारिता और गहरा नमन। बेटी, भाई, बहन या बेटे के मानवाधिकार परिवार या कबीले या सामूहिक के तथाकथित या तथाकथित सम्मान के लिए गिरवी नहीं रखे जाते हैं। ऑनर किलिंग का कार्य कानून के शासन को एक विनाशकारी संकट में डाल देता है। [पैरा 39] [795-डी-ई] 5. ऑनर किलिंग एकमात्र प्रकार का अपराध नहीं है जो खाप पंचायतों द्वारा की गई कार्रवाई और निर्णय से जुड़ा हुआ है। यह एक कब्र है लेकिन अकेला नहीं है। यह ऑनर क्राइम का हिस्सा है। यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि ऑनर क्राइम जीनस है और ऑनर किलिंग प्रजाति है, हालांकि इसका एक खतरनाक पहलू है। तथापि, सम्मान के नाम पर किसी भी प्रकार की यातना या यातना या दुर्व्यवहार जो किसी भी सभा द्वारा प्रेम और विवाह से संबंधित किसी व्यक्ति की पसंद के ह्रास के समान है, चाहे वह किसी भी नाम को मान ले, अवैध और अनुचित है।

अस्तित्व के एक पल की अनुमति नहीं दी जा सकती है। [पैरा 40] [795-एफ-जी]

आपराधिकता। यह न्याय प्रदान करने के लिए अनौपचारिक संस्थानों के लिए किसी भी स्थान को मान्यता नहीं देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 'कानून के शासन' द्वारा शासित राज्य व्यवस्था केवल ऐसे अधिकारों से निपटने के लिए स्थापित औपचारिक संस्थानों द्वारा अधिकारों के निर्धारण और उनके उल्लंघन को स्वीकार करती है। परिस्थितियाँ। यह लगातार ध्यान में रखना होगा कि एक अवधारणा के रूप में कानून का शासन समाज में व्यवस्था रखने के लिए होता है। यह मानवाधिकारों का सम्मान करता है। इसलिए, खाप पंचायत या किसी भी नामकरण की कोई भी पंचायत उक्त अधिकार के प्रयोग में सेंध नहीं लगा सकती है। [पैरा 41] [795-एच; 796-ए-सी]

कर्तार सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1994) 3 एससीसी 569:

[1994] 2 एस. सी. आर. 375-पर निर्भर।

' संकट में कानून-समझ के पुल '

सी. जी. वीरामेंट्री द्वारा-संदर्भित।

शक्ति वाहिनी बनाम। भारत और अन्य का संघ

7. ऑनर किलिंग व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पसंद की स्वतंत्रता और पसंद की अपनी धारणा को दर्शाता है। यह ध्यान में रखना होगा कि जब दो वयस्क सहमति से एक-दूसरे को जीवन साथी के रूप में चुनते हैं, तो यह उनकी पसंद की अभिव्यक्ति है जिसे संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मान्यता प्राप्त है। इस तरह की

अधिकार को संवैधानिक कानून की मंजूरी है और एक बार जब इसे मान्यता मिल जाती है, तो उक्त अधिकार की रक्षा करने की आवश्यकता होती है और यह वर्ग सम्मान या सामूहिक सोच की अवधारणा के आगे नहीं झुक सकता है, जिसकी कल्पना किसी धारणा पर की गई है कि दूर से कोई अधिकार नहीं है। वैधता। [पैरा 42] [796-एफ-जी]

8. स्वतंत्रता की अवधारणा को संवैधानिक संवेदनशीलता, संरक्षण और संविधान की कसौटी पर तौलना और परखना होगा।

मूल्यों के लिए यह खड़ा है। यह संवैधानिक न्यायालयों का दायित्व है कि वे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की उत्साहपूर्वक रक्षा करें क्योंकि किसी व्यक्ति के गरिमापूर्ण अस्तित्व का स्वतंत्रता के साथ एक अविभाज्य संबंध है। पोषण के बिना

स्वतंत्रता, कानून के संवैधानिक रूप से वैध प्रावधानों के अधीन, एक व्यक्ति का जीवन जीवित मृतकों को सहन करने के बराबर है। विरोध के बिना क्रूरता और यातना और असहमति की आवाज या असहमति दर्ज किए बिना विचारों और विचारों को थोपना बर्दाश्त करें। गरिमापूर्ण अस्तित्व की मूल विशेषता गरिमा के लिए जोर देना है जिसमें देवत्व और दिव्यता की चिंगारी है।

किसी भी प्रकार के अधीनता के बिना कानून के मापदंडों के भीतर पसंद की प्राप्ति। स्वतंत्रता के ढांचे के भीतर व्यक्तिगत गरिमा और पसंद की अवधारणाओं पर जोर देने का उद्देश्य सर्वोपरि है। गरिमा और पसंद के बिना जीवन और स्वतंत्रता

एक ऐसी घटना है जो खोखलेपन को प्रवेश करने की अनुमति देती है किसी व्यक्ति की पहचान की संवैधानिक मान्यता। [पैरा 43]

[796 - एच; 797-ए-सी]

9. एक व्यक्ति का चुनाव गरिमा का एक अटूट हिस्सा है, क्योंकि गरिमा के बारे में नहीं सोचा जा सकता है कि पसंद का क्षरण कहाँ है। यह सच है, वही इस सिद्धांत से बंधा है कि संवैधानिक सीमा लेकिन ऐसी सीमा के अभाव में, किसी को भी उक्त विकल्प के फलने-फूलने में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि अपनी पसंद को व्यक्त करने के अधिकार में बाधा आती है, तो गरिमा की पवित्र पूर्णता के बारे में सोचना बेहद मुश्किल होगा। जब दो वयस्क अपनी इच्छा से शादी करते हैं, तो वे अपना रास्ता चुनते हैं; वे अपने रिश्ते को पूरा करते हैं; वे महसूस करते हैं [2018] 3 एस. सी. आर.

कि यह उनका लक्षय है और उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। उक्त अधिकार का कोई भी उल्लंघन संवैधानिक उल्लंघन है।

[पैरा 44] [707-डी-ई]

10. वर्ग या कबीले के उच्च सम्मान के नाम पर बहुसंख्यक अपनी उपस्थिति का आह्वान नहीं कर सकते हैं या अपनी उपस्थिति के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं जैसे कि

वे कुछ अवर्णनीय युग के सम्राट हैं जिनके पास किसी भी सजा को लागू करने और उसके निष्पादन को उस तरह से निर्धारित करने की शक्ति, अधिकार और अंतिम निर्णय है जिस तरह से वे चाहते हैं कि संभवतः यह धारणा हो कि वे अपने लिए एक कानून हैं। इस देश का संविधान और कानून इस तरह के कार्य को स्वीकार नहीं करते हैं और वास्तव में, पूरी गतिविधि अवैध है और आपराधिक कानून के तहत अपराध के रूप में दंडनीय है। [पैरा 44] [797-एफ-जी] 11. 'खाप पंचायतों' या ऐसी विधानसभा को कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए और आगे यह नहीं मान सकते कि

कानून लागू करने वाली एजेंसी का चरित्र, उस अधिकार के लिए उन्हें किसी भी कानून के तहत प्रदान नहीं किया गया है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून को बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। उनकी गतिविधियों को पूरी तरह से रोका जाना चाहिए। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जो अवैध है वह मान्यता या स्वीकृति की सराहना नहीं कर सकता है। [पैरा 47] [798-एफ; 799-ए]

12. एक विधानसभा या पंचायत जो किसी भी कार्य में संलग्न होने के लिए प्रतिबद्ध हो।

पंचायत। [पैरा 49] [799-जी] 13. 2014 और 2016 के बीच ऑनर किलिंग के 288 मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय अपराध के आंकड़ों के अनुसार

रिकॉर्ड ब्यूरो (एन. सी. आर. बी.) ने ऑनर किलिंग के 28 मामले दर्ज किए

वर्ष 2014 में 192 और वर्ष 2016 में 68। [पैरा 49] [800-ए]

14. ऑनर किलिंग्स को मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के रूप में निंदा की जाती है और कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा संबोधित किया जाता है।

उपकरण। महिलाओं और घरेलू हिंसा के खिलाफ हिंसा की रोकथाम और मुकाबला करने पर यूरोप कन्वेंशन की परिषद इस मुद्दे को संबोधित करती है। [पैरा 50] [800-बी] 15. एक बार जब मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति में निहित हो जाता है, तो असहिष्णु समूह जो श्रेष्ठता वर्ग के दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं।

शक्ति वाहिनी बनाम द्वारा जटिल या उच्चतर कबीला किसी व्यक्ति के अधिकार को बाधित नहीं कर सकता है।

और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षक और रक्षक के रूप में इस न्यायालय की भूमिका को ध्यान में रखते हुए और आगे एक ऐसे वातावरण की शुरुआत करने के लिए जहां सामूहिक खतरे के कारण विवाह में पड़ने का डर दूर हो जाए, निर्देश जारी करना आवश्यक है। [पैरा 51] [800-एफ-जी]

लक्ष्मी कांत पांडे बनाम। भारत संघ (1984) 2 एससीसी 244 [1984] 2 एस. सी. आर. 795; विशाखा और अन्य बनाम। राज्य

राजस्थान और अन्य (1997) 6 एस. सी. सी. 241: [1997] 3

पूरक। एस. सी. आर. 404; प्रकाश सिंह और अन्य बनाम। संघ

भारत और अन्य (2006) 8 एस. सी. सी. 1: [2006] 6 पूरक। एस. सी. आर. 473-पर निर्भर।

16. मानवाधिकारों का संरक्षण हमारे लिए महत्वपूर्ण है।

संविधान जो मानवता का प्रतीक है और मानवता का कथित वैचारिक प्रतीक है, किसी भी विचार या धारणा का पूरी तरह से बहिष्कार करता है।

निषेध या आदेश जो स्वतंत्रता की नींव पर और निष्पक्ष, न्यायसंगत और आनुपातिक न्याय के आधार पर अपने अधिकारों का आनंद लेने वाले नागरिकों के अपरिहार्य अधिकारों में खोखलापन पैदा करता है। मानव गरिमा पर कोई हमला नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कानून की महानता को दबाने की क्षमता है। इसलिए, विधायिका को यह अनुशंसा की जाती है कि वह ऑनर किलिंग के क्षेत्र को प्रासंगिक रूप से कवर करने वाला कानून लाए। [पैरा 52] [801-बी-सी]

समरेंद्र बेउरा बनाम। भारत संघ और अन्य (2013) 14 एस. सी. सी. 672 [2013] 3 एस. सी. आर. 781-पर निर्भर था।

17. सम्मान के दर्दनाक प्रभाव की चुनौतियों का सामना करने के लिए

अपराध, निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक होना चाहिए

उपायों और तदनुसार, न्यायालय संबंधित राज्यों की कार्यपालिका और पुलिस प्रशासन को बताए गए उद्देश्यों के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करने के लिए और उपाय जोड़ने के लिए स्वतंत्रता के साथ व्यापक रूपरेखा और तौर-तरीकों को बताता है।

[पैरा 53] [801-जी]

लता सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और दूसरा (2006) 5 एस. सी. सी.

475 [2006] 3 पूरक। एस. सी. आर. 350; अरुमुगम सर्वई बनाम। तमिलनाडु राज्य (2011) 6 एस. सी. सी. 405

[

2011]

5 एससीआर 488; भगवान दास बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)

[20

18] 3 एस. सी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2011) 6 एस. सी. सी. 396 [2011] 6 एस. सी. आर. 330; पुनः भारत

महिला का कहना है कि ग्राम अदालत के आदेश पर सामूहिक बलात्कार किया गया

बिजनेस एंड फाइनेंशियल न्यूज में प्रकाशित दिनांकित

23-1-2014 (2014) 4 एससीसी 786 [2014] 4 एससीआर 264;

विकास यादव बनाम. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2016)

बिहार और अन्य (2017) 4 एस. सी. सी. 397; उत्तर प्रदेश राज्य वी. कृष्णा मास्टर और अन्य एआईआर 2010 एससी 3071:

[2010] 9 एस. सी. आर. 563; स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन

पंजाब बनाम. भारत संघ और अन्य (2013) 4 एस. सी. सी. 1:

[2013] 5 एस. सी. आर. 111; स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन

पंजाब बनाम. भारत संघ और अन्य (2016) 10 एस. सी. सी. 265

: [2016] 8 एस. सी. आर. 192; एस. रंगराजन बनाम पी. जगजीवन

राम और अन्य (1989) 2 एस. सी. सी. 574: [1989] 2 एससीआर 204

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2006] 3 पूरक। एससीआर 350

संदर्भित किया गया है

पै

रा 30

[2011] 5 एससीआर 488

पै

रा 32

संदर्भित किया गया है

[2011] 6 एससीआर 330

पै

रा 34

संदर्भित किया गया है

[2014] 4 एससीआर 264

संदर्भित किया गया है

पै

रा 35

[2016] 8 एससीआर 872

पै

रा 36

संदर्भित किया गया है

(2017) 4 एस. सी. सी. 397

संदर्भित किया गया है

पै

रा 37

[2010] 9 एससीआर 563

संदर्भित किया गया है

पै

रा 38

[1994] 2 एससीआर 375

उस पर भरोसा करें

पै

रा 42

[2013] 5 एससीआर 111

संदर्भित किया गया है

पै

रा 45

[2016] 8 एससीआर 192

पै

रा 45

संदर्भित किया गया है

[1989] 2 एससीआर 204

संदर्भित किया गया है

पै

रा 48

[1984] 2 एससीआर 795

उस पर भरोसा करें

पै

रा 51

[1997] 3 पूरक। एससीआर 404

उस पर भरोसा करें

पै

रा 51

[2006] 6 पूरक। एससीआर 473

उस पर भरोसा करें

पै

रा 51

[2013] 3 एससीआर 781

उस पर भरोसा करें

पैरा 52 शक्ति वाहिनी बनाम। भारत और अन्य का संघ

नागरिक मूल न्यायनिर्णय: लेखन याचिका (सिविल)

2010 का सं. 238।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

सुश्री पिंकी आनंद, ए. एस. जी., राजू रामचंद्रन, वरिष्ठ अधिवक्ता। (ए. सी.), नरेंद्र हुड्डा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , गौरव अग्रवाल (एसी), सुश्री हमसिनी शंकर, ईश्वर मोहंती, रविकांत, गोपी चंद, सी. के. शर्मा, संजीव कुमार, प्रकाश कुमार सिंह, पी. के. डे, एम. के. मारोरिया, सुश्री सुहासिनी सेन,

सुश्री स्निधा मेहरा, सुश्री सुषमा मनचंदा, वसीम कादरी, शिवानी लूथरा लोहिया, शैलेंद्र सैनी, जी. एस. मक्कर, इरशाद अहमद, विश्व पाल सिंह, गुन्नम वेंकटेश्वर राव, राहुल गुप्ता, बिनय कुमार तिवारी, हितेश कुमार शर्मा, दीपक नामधारी, बी. एस. बंथिया, श्रीमती अनिल कटियार, गोपाल प्रसाद, सुश्री रंजीता रोहतगी, अभिषेक, सुश्री गरिमा प्रसाद, सुश्री मेघा अग्रवाल, अजय मारवाह, डैनियल स्टोन लिंगदोह, रंजन मुखर्जी, एडवर्ड बेल्हो, सुश्री के. एनातोली सेमा, अमित कुमार सिंह, के. लुइकांग माइकल, सुश्री प्राची उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दीपक मिश्रा, सीजेआई। 1. पसंद का दावा स्वतंत्रता और गरिमा का एक अविभाज्य पहलू है। यही कारण है कि फ्रांसीसी दार्शनिक और विचारक, सिमोन वेल ने कहा है:

" स्वतंत्रता, शब्द को इसके ठोस अर्थ में लेना क्षमता में शामिल है

चुनें "।

जब वर्ग सम्मान के नाम पर चयन करने की क्षमता को कुचल दिया जाता है और व्यक्ति के शारीरिक ढांचे के साथ पूर्ण अपमान के साथ व्यवहार किया जाता है, तो बड़े पैमाने पर समाज के दिमाग और हड्डियों पर एक डरावना प्रभाव हावी हो जाता है। विचार के लिए जो सवाल मार्मिक रूप से सामने आता है वह यह है कि क्या बुजुर्ग परिवार या कबीले को कभी भी जुनून की किसी धारणा द्वारा निर्देशित निर्णय की घोषणा करने और उन युवाओं के जीवन को समाप्त करने की अनुमति दी जा सकती है जिन्होंने अपने बड़ों की इच्छा के खिलाफ या कबीले की प्रथागत प्रथा के विपरीत शादी करने के लिए अपनी पसंद का प्रयोग किया है। इसका जवाब होना चाहिए

एक जोरदार "नहीं"। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वतंत्रता का सागर और गरिमा की अंतर्निहित भावना इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं करती है क्योंकि व्यवहार का स्वरूप कुछ अतिरिक्त-संवैधानिक धारणा पर आधारित है। वर्ग सम्मान, चाहे जो भी माना जाए, एक [2018] 3 एस. सी. आर. के चयन को बाधित नहीं कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

व्यक्ति जिसे वह हमारे करुणामय संविधान के तहत प्राप्त करने का हकदार है। और स्वतंत्रता के आनंद का यह अधिकार होना चाहिए

लगातार और उत्साह से संरक्षित किया जाता है ताकि यह ताकत के साथ पनप सके और चमक के साथ पनप सके। यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि पुरानी व्यवस्था को नए को रास्ता देना होगा। सामंती धारणा को गुमनामी में पिघलना पड़ता है जिससे स्वतंत्रता का सुगम मार्ग प्रशस्त होता है। इस प्रकार जोसेफ जे. एलिस का कथन प्रासंगिक हो जाता है। उन्होंने प्रस्ताव दिया है:

" हम एक ऐसी दुनिया में नहीं रहते हैं जिसमें अब सम्मान की एक भी परिभाषा मौजूद नहीं है, और यह एक मूर्ख है जो पारंपरिक मानकों पर टिका रहता है और उम्मीद करता है कि दुनिया उसके चारों ओर आएगी। ' "

2. वर्तमान में, तथ्यात्मक अंक तक। तत्काल रिट याचिका को भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्राथमिकता दी गई है।

उत्तरदाताओं को निर्देश-राज्य सरकारें और केंद्र सरकार

सरकार ऑनर क्राइम से निपटने के लिए निवारक कदम उठाएगी, उक्त प्रकृति के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना और राज्य कार्य योजना प्रस्तुत करेगी और आगे राज्य सरकारों को प्रत्येक जिले में विशेष प्रकोष्ठों का गठन करने का निर्देश देगी, जिनसे दंपति अपनी सुरक्षा और कल्याण के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, राज्य सरकारों को ऑनर किलिंग के प्रत्येक मामले में मुकदमा चलाने और उचित उपाय करने के लिए एक आदेश पत्र जारी करने की प्रार्थना की गई है ताकि समाज के कुछ सदस्यों की मानसिकता में इस तरह के ऑनर क्राइम और अंतर्निहित बुराई से सख्ती से निपटा जा सके।

3. याचिकाकर्ता-संगठन को "हरियाणा और पश्चिमी उत्तर में ऑनर किलिंग्स" पर शोध अध्ययन करने के लिए अधिकृत किया गया था

प्रदेश "राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा पारित दिनांक 22.12.2009 आदेश द्वारा। ऐसा माना जाता है कि हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरह की ऑनर किलिंग की घटनाएं बढ़ी हैं और उक्त प्रवृत्ति बढ़ रही है और इस तरह की हत्याओं ने उन युवाओं में डर की भावना पैदा कर दी है जो शादी करने का इरादा रखते हैं लेकिन डर से शादी नहीं करते हैं। सामाजिक दबाव और इसके परिणामस्वरूप अमानवीय मुख्य समूहों द्वारा व्यवहार जो कानून निर्माताओं के पद पर खुद को घमंड करते हैं और ऐसे दंड लगाते हैं जो बेहद क्रूर होते हैं, जो अत्यधिक भय पैदा करते हैं जो पीड़ितों को आत्महत्या करने या इन समूहों के हाथों अपूरणीय रूप से पीड़ित होने के लिए मजबूर करता है। ऐसे समूहों में अहंकार को समान रूप से संचालित ताकतों से समर्थन मिलने के परिणामस्वरूप वे कानून बन जाते हैं।

स्वयं के लिए। मानवाधिकारों का उल्लंघन और विनाश मौलिक अधिकार वर्ग सम्मान या समूह अधिकार या सम्मान की विकृत व्यक्तिगत धारणा के नाम पर होते हैं। ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति शक्ति वाहिनी v.

उनके व्यवहार को सामाजिक रूप से स्वीकृत मानदंडों के सिद्धांत और समुदाय की नैतिकता की आड़ में उनके कामकाज की वैधता पर उचित झुकाव के रूप में मानते हैं जिसके परिणामस्वरूप सतर्कता आती है। सभा या सामूहिक सम्मान को अपनी धारणा से परिभाषित करता है और इसे इस तरह की चतुराई से वर्णित करता है ताकि इसके कार्यों, जैसा कि यह दावा करता है, में मानक औचित्य हो।

4. यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे वातावरण में एक महिला का अस्तित्व पूरी तरह से परिवार, समुदाय और परिवेश की प्रतिष्ठा के बारे में पुरुष दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। कभी-कभी, यह विरासत में मिले स्थानीय लोकाचार पर केंद्रित होता है जो तर्कसंगत रूप से स्पष्ट नहीं है। सामुदायिक मानदंडों से परे अपनी पसंद के अनुसार जीवन साथी चुनने में एक महिला या पुरुष की कार्रवाई को अपमान माना जाता है, जो अंतिम रूप से, निर्दोष रूप से समुदाय के पर्चे के क्रूर हाथों से मौत को आमंत्रित करता है। एक महिला की प्रतिष्ठा को उसके आचरण के अनुसार तौला जाता है, और जिस परिवार से लड़की या महिला संबंधित है, उस पर दबाव डाला जाता है, जिसके परिणामस्वरूप परिवार के सदस्य, कुछ अवसरों पर, मूक दर्शक बन जाते हैं।

उपचार के लिए या कभी-कभी सक्रिय प्रतिभागी बन जाते हैं जो या तो निर्धारित व्यवहार के कारण समूह का एक हिस्सा बनते हैं या

पारिवारिक गौरव के मोचन की अवांछित भावना। 5. सम्मान की जिस अवधारणा से हम संबंधित हैं, उसके कई पहलू हैं। कभी-कभी, एक युवक ऑनर किलिंग का शिकार हो सकता है या उसके परिवार के सदस्यों के हाथों हिंसक व्यवहार प्राप्त कर सकता है।

6. याचिका में यह कहा गया है कि जिन कार्यों को सम्मान आधारित अपराधों से जोड़ा गया है, वे हैं-(i) बाहर कौमार्य का नुकसान। विवाह; (ii) पूर्व-वैवाहिक गर्भावस्था; (iii) बेवफाई; (iv) अस्वीकृत संबंध होना; (v) अरेंज मैरिज से इनकार करना; (vi) तलाक की मांग करना; (vii) तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी की मांग करना; (viii) बिना अनुमति के परिवार या वैवाहिक घर छोड़ना; (ix) समुदाय में कलह या गपशप पैदा करना, और (x) बलात्कार का शिकार होना। उपरोक्त पहलू का विस्तार करते हुए, यह कहा गया है कि कुछ पहलू [2018] 3 एस. सी. आर. द्वारा अनुचित संबंध से संबंधित हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक महिला जो कुछ अरेंज मैरिज से इनकार करने का कारण बनती है। ऑनर क्राइम के संबंध में कुछ उदाहरणों का हवाला दिया गया है और कैसे उक्त अपराध ऐसी घटनाओं की वीभत्स घटनाओं को दर्शाते हैं। हत्या

समाज के सदस्यों के साथ दिन के उजाले में और सार्वजनिक रूप से क्रूर व्यवहार यह दर्शाता है कि पीड़ितों के साथ निर्जीव वस्तुओं के रूप में व्यवहार किया जाता है जो देश के कानून से पूरी तरह से अनजान होते हैं और पीड़ितों की भावनाओं से पूरी तरह से बेपरवाह होते हैं जो इस तरह की क्रूरता का सामना करते हैं और अंततः उनके आगे झुक जाते हैं। जोड़ों द्वारा शादी करने के इरादे की अभिव्यक्ति, भले ही वे वयस्क हों, सभा का गठन करने वाले सदस्यों के लिए समझ से परे है, क्योंकि उनके अनुसार, यह अनुमानित सम्मान है जो सर्वोच्च है और दूसरों का जीवन उनकी इच्छाओं और निर्णयों के अधीन हो जाता है। रिट याचिका में जिन उदाहरणों को दर्शाया गया है, वे लोगों की पिटाई, सिर मुंडवाने और कभी-कभी पीड़ितों को आग लगाने से संबंधित हैं जैसे कि वे "बेसहारा लड़कों के लिए मक्खी" हैं। विभिन्न समाचारों को उन घृणित और भयावह घटनाओं के संबंध में पीड़ा व्यक्त करने के लिए संदर्भित किया गया है जिन्हें मानव आंखें नहीं देख सकती हैं और संवेदनशील दिमाग कभी नहीं देख सकते हैं।

मुखाकृति।

7. याचिका में यह तर्क दिया गया है कि समानांतर कानून प्रवर्तन एजेंसी में एक ही वंश के समूह के प्रमुख पुरुष शामिल होते हैं या

जाति जो अक्सर समूह को प्रभावित करने वाली समस्याओं से निपटने के लिए मिलती है। वे खुद को पंचायत कहते हैं जिनके पास अपराधों के लिए दंडित करने और भीड़ द्वारा सामाजिक बहिष्कार या हत्या के लिए निर्देश देने की शक्ति है। कभी-कभी इन पंचायतों को खाप पंचायतों का नाम दिया जाता है जो

उन्होंने आपस में यह भावना पैदा की है और पोषित किया है कि उनका कर्तव्य पवित्र है और असहाय पीड़ितों को दंडित करने की उनकी कार्रवाई अलंघनीय है। सामूहिक बैठकें और मण्डली में चर्चा उच्चतम स्तर पर जुनून के स्तर को दर्शाती हैं। यह निर्धारित किया गया है कि सामंती गतिविधियों में संलग्न अतिरिक्त-संवैधानिक निकायों को ऐसे अपराध करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है जो भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके हिंसक कृत्यों का पुलिस द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया है और उनकी कार्यप्रणाली को गंभीरता से नहीं लिया गया है प्रशासन से पूछताछ की। संवैधानिक प्रावधानों को बहुत कम सम्मान दिया जाता है और इस समूह द्वारा मानव गरिमा को सबसे निचले स्तर पर माना जाता है। अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है।

और बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा करता है और स्थिति की समानता को इन पंचायतों या समूहों के कार्यों से अप्रत्याशित रूप से बाहर दिखाया गया है, जो बिना किसी विवेक के, ऑनर किलिंग की सदस्यता लेते हैं। इस पृष्ठभूमि में प्रार्थनाएं की गई हैं जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है।

शक्ति वाहिनी बनाम। भारत और अन्य का संघ [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

8. भारत सरकार, गृह मंत्रालय और महिला एवं बाल मंत्रालय की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है

विकास, उत्तरदाता सं। 1 , 2 और क्रमशः 3। यह तर्क दिया गया है कि ऑनर किलिंग को हत्या के रूप में माना जाता है जैसा कि आई. पी. सी. की धारा 300 के तहत परिभाषित किया गया है और आई. पी. सी. की धारा 303 के तहत दंडनीय है। चूँकि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था संविधान के तहत राज्य के विषय हैं, इसलिए ऑनर किलिंग से निपटना मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है। यह सामने रखा गया है कि केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आई. पी. सी. में संशोधन करने या ऑनर किलिंग के खतरे को दूर करने के लिए एक अलग कानून बनाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए लगा रही है।

9. 9 सितंबर, 2013 के इस न्यायालय के आदेश के अनुसार, भारत संघ ने एक और हलफनामा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि 'ऑनर किलिंग' के मुद्दे से निपटने के लिए, भारत के विधि आयोग द्वारा 242 वें विधि आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से 'वैवाहिक गठबंधनों की स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप का निषेध विधेयक' नामक एक विधेयक की सिफारिश की गई है। भारत संघ ने आगे तर्क दिया है कि चूंकि 242 वें विधि आयोग की रिपोर्ट का मामला भारत के संविधान की सूची III यानी सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए इस संबंध में नीतिगत निर्णय लेने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ परामर्श करना अनिवार्य है।

10. 16 जनवरी, 2014 के एक और हलफनामे में, भारत संघ ने तर्क दिया है कि उक्त तिथि तक, 15 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भेजी हैं, जबकि अन्य शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा की जा रही है। भारत संघ ने 25 सितंबर, 2014 को एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया जिसमें पैराग्राफ 4 के माध्यम से यह बताया गया है कि छह और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 'वैवाहिक गठबंधन की स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप का निषेध विधेयक' के पक्ष में सकारात्मक प्रतिक्रिया भेजी है और शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अनुस्मारक भेजे गए हैं, जिनके जवाबों की प्रतीक्षा है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि इसके बाद

शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से टिप्पणियां प्राप्त करने पर भारत संघ द्वारा इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह भारत संघ का रुख है कि टिप्पणियाँ प्राप्त होते ही सभी हितधारकों के परामर्श से घोषित उद्देश्य के लिए एक मसौदा विधेयक तैयार किया जाएगा। यह भी बताया गया है कि इन कदमों के संबंध में राज्य सरकारों को समय-समय पर कई परामर्श जारी किए गए हैं

महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए ऑनर किलिंग के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. पंजाब राज्य द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह प्रतिकूल स्थिति नहीं ले रहा है और यह किसी भी प्रकार की ऑनर किलिंग के लिए मूक दर्शक बनने का इरादा नहीं रखता है और उक्त कारण से, इसने ज्ञापन संख्या 5/151/10-5 H4/<ID2 जारी किया है। गृह और न्याय विभाग निर्धारित करना और लाना

किसी भी संदेह को दूर करने और बड़े पैमाने पर जनता के बीच प्रचलित किसी भी अनिश्चितता और/या खतरे को दूर करने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों/नीतियों को लागू करना। नीति, जैसा कि सामने रखा गया है, उन नवविवाहित जोड़ों की सुरक्षा से निपटने की परिकल्पना करती है जो शादी के बाद कम से कम छह सप्ताह तक जीवन और स्वतंत्रता के लिए खतरे की आशंका रखते हैं। इसने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य पूर्व-खाली, सुरक्षात्मक और सुधारात्मक उपाय करने के लिए दृढ़ है और जब भी कोई व्यक्तिगत मामला ध्यान में आता है या उजागर किया जाता है, तो उचित कार्रवाई की गई है और सरकार द्वारा भी की जाएगी। इसके अलावा, जवाबी हलफनामा दर्शाता है कि अपराध के सभी दोषियों पर कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।

12. हरियाणा राज्य ने राज्य के खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए एक हलफनामा दायर किया है और आगे कहा है कि उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों के आदेश के आधार पर और कभी-कभी पुलिस द्वारा सीधे आने पर जोड़ों को पर्याप्त सुरक्षा दी गई है।

स्थिति जानने के लिए। यह तर्क दिया जाता है कि अपराध के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले कानून के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा राज्य का रुख यह है कि एक कार्य योजना पहले ही तैयार की जा चुकी है और महिलाओं के खिलाफ अपराध प्रकोष्ठ हैं

राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय में कार्य करना और आवश्यक प्रचार पहले ही किया जा चुका है और नागरिक उन प्रकोष्ठों से अवगत हैं।

13. झारखंड राज्य ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा है,

अन्य रूप से, ऐसे अपराधों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ उठाए गए उपाय। यह स्पष्ट करने के अलावा कि झारखंड राज्य में ऑनर किलिंग आम बात नहीं है, यह कहा गया है कि वह ऐसे अपराधों से निपटने के लिए उचित कदम उठाएगा।

14. दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस अलग रिकॉर्ड नहीं रखती है "ऑनर किलिंग" की श्रेणी के तहत मामलों के लिए। हालांकि, यह उल्लेख किया गया है कि जब तक हलफनामा दायर किया गया था, तब तक 11 मामले थे

पंजीकृत किया। यह आग्रह किया जाता है कि ऐसे मामलों को जिला पुलिस द्वारा संभाला जाता है और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित गंभीर अपराधों के लिए दिल्ली पुलिस के भीतर एक विशेष प्रकोष्ठ काम कर रहा है और ऐसे मामलों को शक्ति वाहिनी बनाम में भेजा जा सकता है।

प्रकोष्ठ ने कहा और प्रत्येक पुलिस जिले में एक विशेष प्रकोष्ठ के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात पर जोर दिया गया है कि दिल्ली पुलिस ने

इस संबंध में क्षेत्रीय अधिकारियों को संवेदनशील बनाया ताकि मुद्दों को आवश्यक संवेदनशीलता और संवेदनशीलता के साथ संभाला जा सके। महिला और बाल विकास विभाग ने ऑनर किलिंग के खतरे का सामना कर रही महिला पीड़ितों के पुनर्वास की भी व्यवस्था की है और ऐसे अपराधों के खिलाफ समाज को संवेदनशील बनाने के प्रयास किए गए हैं। 'ऑनर किलिंग' के मामलों को रोकने के लिए की जाने वाली कार्रवाई 'विषय से संबंधित एक परिपत्र रिकॉर्ड पर लाया गया है। 15. राजस्थान राज्य ने अपने जवाब में खाप पंचायतों की आड़ में अनुचित गतिविधियों की कड़ी निंदा की थी।

राजस्थान राज्य का तर्क है कि उसने पुलिस कर्मियों को पंचायतों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए परिपत्र जारी किए हैं और आगे इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशानिर्देश का पालन करने की इच्छा व्यक्त की है ताकि हमारे समाज में ऑनर किलिंग की बुराई को कम किया जा सके और उस पर अंकुश लगाया जा सके।

16. उत्तर प्रदेश राज्य ने दो जवाबी हलफनामे दायर किए हैं जिसमें कहा गया है कि भारत के संविधान के तहत निहित और गारंटीकृत मौलिक अधिकारों की रक्षा करना राज्यों का प्राथमिक कर्तव्य है। यह आगे तर्क दिया जाता है कि हालांकि कोई विशिष्ट कानून नहीं है

"ऑनर किलिंग" को विनियमित करने और रोकने के लिए, फिर भी इसे नियंत्रित करने के लिए राज्य द्वारा वर्तमान कानून के तहत प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं। उक्त उपाय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दिए गए निर्देशों और दिशानिर्देशों की प्रकृति के हैं। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य ने रिकॉर्ड में लाया है कि 01.01.2010 से 31.12.2012 तक की अवधि के लिए राज्य में "ऑनर किलिंग" या "सामाजिक बहिष्कार" का कोई मामला सामने नहीं आया है। फिर भी, बार-बार, पुलिस थानों को खापों की गतिविधियों और कामकाज पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ने किसी भी निर्देश का पालन करने के लिए स्वीकार किया है जो यह न्यायालय जारी कर सकता है।

17. बिहार राज्य ने अपने हलफनामे में स्वीकार किया है कि ऑनर किलिंग एक जघन्य अपराध है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। हालाँकि बिहार राज्य ने यह रुख अपनाया है कि राज्य में ऑनर किलिंग के मामले लगभग शून्य हैं, फिर भी पाँच मामलों की एक सूची जो ऑनर किलिंग के चरित्र को मान सकते हैं, में उल्लेख किया गया है।

शपथ पत्र। राज्य ने आगे कहा है कि महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं।

लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यह दावा किया गया है [2018] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20. मानुषी संगठन द्वारा दायर कई खाप पंचायतों की ओर से हस्तक्षेप के लिए एक आवेदन को अनुमति दी गई है। मानुषी संगठन द्वारा यह कहा गया है कि मीडिया द्वारा खाप पंचायतों की गतिविधियों पर अपनी चिंता व्यक्त करने के अनुरोध पर, संगठन ने खाप पंचायतों के कामकाज का सर्वेक्षण किया है, लेकिन उन्हें देश में होने वाली ऑनर किलिंग के लिए खाप पंचायतों को जिम्मेदार ठहराने का कोई सबूत नहीं मिला है। इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, संगठन का तर्क है कि प्रस्तावित विधेयक, "विवाह की स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप का निषेध"

गठबंधन विधेयक ', पर्याप्त मौजूदा दंड को देखते हुए एक व्यर्थ अभ्यास है।

प्रावधान और यह कहा गया है कि उक्त विधेयक का उद्देश्य जिन शक्तियों को निर्धारित करना है, वे निहित स्वार्थों को स्थानीय समुदायों की सार्थक सभाओं को परेशान करने की शक्ति देने का परिणाम हो सकते हैं। हस्तक्षेपकर्ता ने याचिकाकर्ता की रिपोर्ट के निष्कर्षों को भी विभिन्न आधारों पर चुनौती दी है।

21. याचिकाकर्ता ने एक जवाबी हलफनामा दायर किया है जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इस न्यायालय ने सम्मान के नाम पर होने वाली क्रूर हत्याओं का संज्ञान लिया है और यह आग्रह किया जाता है कि हालांकि कुछ राज्यों ने इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में एक कार्य योजना बनाई है, फिर भी वे इसे प्रभावी ढंग से लागू करने में विफल रहे हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, पुलिस शक्ति वाहिनी बनाम के लिए प्रभावी दिशानिर्देश।

और ऑनर किलिंग के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को तैयार करने और लागू करने की आवश्यकता है।

विशिष्ट परिस्थितियों से निपटने वाले क्षेत्र में, परिदृश्य को व्यावहारिक जमीनी वास्तविकता के चश्मे से देखना है जैसा कि अनुमान लगाया गया है और नागरिकों की स्वतंत्रता और जीवन की रक्षा के लिए संवैधानिक मानकों के भीतर कार्य करना है। संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए इस न्यायालय को संवेदनशील होने और ऐसे मामले में कार्य करने की आवश्यकता है और हम ऐसा अनुमेय सीमाओं और ढांचे के भीतर करेंगे क्योंकि नागरिकों के अधिकारों के संरक्षक के रूप में, यह न्यायालय मौन का मार्ग नहीं चुन सकता है। 23. इससे पहले कि हम इस प्रक्रिया में खुद को शामिल करें कि हमने ऊपर क्या कहा है और इस न्यायालय के पहले के फैसलों का उल्लेख करें, हम सोचते हैं कि भारत के विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत 242 वीं रिपोर्ट का उल्लेख करना उचित है, जिसका नाम है, "भारत की स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप की रोकथाम"।

वैवाहिक गठबंधन (सम्मान और परंपरा के नाम पर): एक सुझाए गए कानूनी ढांचे "। रिपोर्ट के प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैं:

" 1.2 शुरुआत में यह कहा जा सकता है कि शब्द 'ऑनर किलिंग' हैं।

समुदाय या परिवार के सदस्यों की इच्छा के खिलाफ शादी करने या शादी करने के इरादे से युवा जोड़े को हुई हिंसा और उत्पीड़न की घटनाओं का वर्णन करने के लिए अभिव्यक्तियाँ। इनका उपयोग आकर्षक वाक्यांशों के रूप में अधिक किया जाता है न कि उपयुक्त और सटीक के रूप में। अभिव्यक्तियाँ।

1.3 तथाकथित 'ऑनर किलिंग' या 'ऑनर क्राइम' हमारे देश के लिए विशिष्ट नहीं हैं। यह एक ऐसी बुराई है जो कई अन्य समाजों को भी परेशान करती है। यह विश्वास कि पीड़ित ने परिवार या समुदाय का अपमान किया है, इस तरह के हिंसक अपराधों का मूल कारण है। इस तरह के हिंसक अपराध विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ निर्देशित होते हैं। पुरुष भी एक महिला के परिवार के सदस्यों द्वारा हमले का निशाना बन जाते हैं, जिनके साथ उन्हें 'अनुचित संबंध' माना जाता है। महिलाओं की बदलती सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति [2018] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और महिलाओं का अपनी पुरुष प्रधान संस्कृति के खिलाफ जाना सम्मान अपराधों के कारणों में से एक रहा है। कुछ पश्चिमी संस्कृतियों में, ऑनर किलिंग अक्सर महिलाओं द्वारा अधिक मांग करने से होती है। स्वतंत्रता और अपने जीवन के तरीके का चयन करना। कुछ संस्कृतियों में ऑनर किलिंग को अन्य हत्याओं की तुलना में कम गंभीर माना जाता है।

क्योंकि वे लंबे समय से चली आ रही सांस्कृतिक परंपराओं से उत्पन्न होती हैं और इस प्रकार उन्हें उचित या न्यायोचित माना जाता है। अधिकांश देशों में ऑनर किलिंग के व्यापक रूप से ज्ञात कारण महिलाओं का व्यभिचारी व्यवहार या पूर्व-वैवाहिक संबंध या उनकी पसंद के अनुसार शादी करने का अधिकार है। महिलाओं के प्रति हिंसक परिवार में सांस्कृतिक प्रथाओं के संबंध में वर्ष 2002 की संयुक्त राष्ट्र 1 की विशेष प्रतिवेदक की रिपोर्ट ने संकेत दिया कि जॉर्डन, लेबनान, मोरक्को, पाकिस्तान, संयुक्त अरब गणराज्य, तुर्की, यमन और अन्य फारस की खाड़ी में ऑनर किलिंग की सूचना मिली थी।

देशों और यह कि वे पश्चिमी देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी और यू. के. में भी हुए थे, ज्यादातर प्रवासियों के भीतर समुदाय। मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त को सौंपी गई रिपोर्ट "सम्मान के नाम पर महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराधों के उन्मूलन की दिशा में काम करना" 2 काफी खुलासा करती है। अन्य देशों के नाम के अलावा

ऊपर, मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के अनुसार, बांग्लादेश, ब्राजील, इक्वाडोर, भारत, इज़राइल, इटली, मोरक्को, स्वीडन, तुर्की और युगांडा के देशों में ऑनर किलिंग होती हैं। श्री विडनी ब्राउन के अनुसार, मानव के लिए वकालत निदेशक

राइट्स वॉच, ऑनर किलिंग की प्रथा "संस्कृतियों और धर्मों में जाती है"। ऐसी खबरें हैं कि कुछ समुदायों में, कई लोग किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या को माफ करने के लिए तैयार हैं जिसने उनके परिवार का अपमान किया है। 2009 यूरोपीय संसद

विधानसभा ने ऑनर क्राइम की बढ़ती घटनाओं को चिंता के साथ नोट किया। वर्ष 2010 में ब्रिटेन में सम्मान से संबंधित अपराधों में 47 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। ब्रिटेन में पुलिस एजेंसियों के आंकड़ों के अनुसार 2010 में 2283 मामले सामने आए और अधिकांश हमले उन शहरों में किए गए जिनमें उच्च अप्रवासी आबादी थी। कुछ देशों में राष्ट्रीय कानूनी न्यायालय। , हैती, जॉर्डन, सीरिया, मोरक्को और दो लैटिन अमेरिकी देश ऐसा नहीं करते हैं।

/डब्ल्यू. डब्ल्यू. unhchr। ch/ह्युरिडोक्डा/ह्युरिडोका। एन. एस. एफ./06a5300f90fa0238025668700518ca4 /

91एफ. ए. ई. 543562सी1256 बीए 7004ई 963सी/$एफ. आई. एल./जी0210428। पीडीएफ

डब्ल्यू. डब्ल्यू. unhchr। ch/ह्युरिडोक्डा/ह्युरिडोका। NSF/6a5300f90fa0238025668700518ca4/8f508ee799fc1256 c52002ae5a9/$FILE/N 02467.90।

पी. डी. एफ. शक्ति वाहिनी बनाम। भारत और अन्य का संघ [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

व्यभिचार करते हुए महिला रिश्तेदारों की हत्या करने वाले पुरुषों को दंडित करना या

पति स्पष्ट रूप से अपनी पत्नियों की हत्या करते हैं। एक सर्वेक्षण द्वारा

एलेन आर. शीले 3 ने खुलासा किया कि 20 प्रतिशत जॉर्डनवासियों ने साक्षात्कार लिया

बस यह विश्वास करें कि इस्लाम हत्या का समर्थन करता है या यहाँ तक कि समर्थन भी करता है

पारिवारिक सम्मान का नाम जो एक मिथक है।

1.4 जहाँ तक भारत का संबंध है, "ऑनर किलिंग" ज्यादातर होती हैं।

हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों से रिपोर्ट की गई।

बिहार का भागलपुर भी "सम्मान" के लिए जाने जाने वाले स्थानों में से एक है।

हत्याएँ "। यहां तक कि कुछ घटनाएं दिल्ली और तमिल से भी सामने आती हैं।

नाडू। अन्य जाति के सदस्यों या जोड़े के साथ विवाह

एक साथ रहने और शादी करने के लिए माता-पिता का घर छोड़ना उकसाता है दंपति और तत्काल परिवार के सदस्यों के खिलाफ हानिकारक कार्य।

1.5 आयोग ने ऐसी घटनाओं की संख्या का पता लगाने की कोशिश की,

अभियुक्त, विशिष्ट कारण, आदि, ताकि

ऐसे मामलों में सामान्य अपराध परिदृश्य का विचार। सरकार ने

संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे आयोग को आवश्यक जानकारी। हालांकि, वहाँ है

याद दिलाने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। लेकिन अखबार से

उन राज्यों में लोगों के शादी करने के परिणामस्वरूप सम्मान अपराध होते हैं। उनके परिवार की स्वीकृति के बिना और उनके बाहर शादी करने के लिए

जाति या धर्म। एक ही परिवार के जोड़े के बीच विवाह

गोत्र (पारिवारिक नाम) से भी अक्सर हिंसक प्रतिक्रिया होती है।

परिवार के सदस्य या समुदाय के सदस्य। जाति

परिषद या पंचायतें जिन्हें 'खाप पंचायत' के नाम से जाना जाता है

'नैतिक सतर्कता' के चुने हुए पाठ्यक्रम को अपनाने और लागू करने का प्रयास करें

स्वयं को सामाजिक की भूमिका मानते हुए या उनके फरमान

सामुदायिक संरक्षक "।

[रेखांकित करना हमारा है]

24. समस्या के आयामों और एक की आवश्यकता की ओर ध्यान देना

कानून के अनुसार, रिपोर्ट में कहा गया है:

" 2.3 खाप पंचायतों और इसी तरह की हानिकारक प्रथा कानून को अपने हाथों में लेना और अयोग्यता पर घोषणा करना

ऑनर किलिंग्स [2018] 3 एस. सी. आर. पर एनवर एमोन के लेख में लिखा गया।

इस संबंध में किसी भी संदेह को दूर करने के उद्देश्य से निष्कासन अधिनियम, 1946 लागू किया गया था। इस अधिनियम ने एक ही 'गोत्र' या 'प्रवर' या एक ही जाति के विभिन्न उप-विभाजनों से संबंधित हिंदुओं के बीच विवाह की वैधता को स्पष्ट रूप से घोषित किया। हिंदू विवाह अधिनियम सगोत्र या अंतर-जाति विवाह को प्रतिबंधित नहीं करता है। और आगे:

" 2.5 गाँव के बुजुर्गों या परिवार के बुजुर्गों के विचारों को इच्छुक जोड़े पर थोपा नहीं जा सकता है और किसी को भी समुदाय का समर्थन करने के नाम पर बल प्रयोग करने या दूरगामी प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है।

तथाकथित गलती करने वाले जोड़े के खिलाफ या तो करीबी रिश्तेदारों या किसी तीसरे पक्ष द्वारा या तो कुछ या सभी के प्रोत्साहन पर यातना, चोट पहुँचाने या गंभीर शारीरिक नुकसान की धमकी का सहारा लिया जाता है। पंचायतदार या उनकी मिलीभुगत से। एक या दूसरे जोड़े की हत्या के कई मामले सुर्खियों में रहे हैं। सामाजिक बहिष्कार और युवा जोड़े को प्रभावित करने वाले अन्य अवैध प्रतिबंध,

परिवारों और यहां तक कि स्थानीय निवासियों के एक वर्ग का भी अक्सर सहारा लिया जाता है। यह सब परंपरा और सम्मान के नाम पर किया जाता है। ऐसे सभी अधिनियमों के संचयी प्रभाव के सार्वजनिक व्यवस्था के आयाम हैं। "भी।

25. विधि आयोग ने एक मसौदा विधेयक तैयार किया था और मसौदा विधेयक के प्रावधानों के अंतर्निहित विचार को ध्यान में रखते हुए, इसमें 1 है:

" 2.8 मसौदा विधेयक के प्रावधानों में अंतर्निहित विचार यह है कि विवाह योग्य आयु के युवाओं के आचरण पर आपत्ति जताने और उनकी निंदा करने के उद्देश्य से सभा या सभा के खिलाफ एक सीमा प्रतिबंध होना चाहिए।

चयन, आपत्ति का आधार यह है कि वे एक ही गोत्र या विभिन्न जातियों या समुदायों से संबंधित हैं। पंचायतदार शक्ति वाहिनी बनाम।

भारत और अन्य का संघ [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

या जाति के बुजुर्गों को जीवन और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है

ऐसे युवा जोड़े जिनके विवाह की कानून द्वारा अनुमति है और

वे ऐसी स्थिति पैदा नहीं कर सकते हैं जिससे ऐसे जोड़ों को रखा जाए

संबंधित गाँव/इलाके में प्रतिकूल वातावरण में और

सुरक्षा के जोखिम के लिए उजागर। इस तरह के हाईहैंडेड कृत्यों में एक

सामाजिक तनाव और वैमनस्य पैदा करने की प्रवृत्ति भी। कोई फ्रेम नहीं सामाजिक पदानुक्रम पर आधारित मन या विश्वास प्रतिरक्षा का दावा कर सकते हैं

सामाजिक नियंत्रण और विनियमन से, जहाँ तक ऐसी मान्यताएँ प्रकट होती हैं

स्वयं सही और गलत के प्रवर्तन के एजेंटों के रूप में। द.

एक गैरकानूनी उद्देश्य के लिए बहुत सभा। अस्वीकार करते हुए विवाह जो अन्यथा कानून की सीमा के भीतर है और लेना

परिणामी कार्रवाई को अपराध के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि इसमें संबंधित व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता को खतरे में डालने की क्षमता।

इस तरह की सभा का उद्देश्य उपेक्षा पर आधारित है

दूसरों का जीवन और स्वतंत्रता और ऐसा आचरण पर्याप्त रूप से होगा।

दंडात्मक कानून द्वारा निपटाया गया। यह अभियोजन पक्ष के लिए पूर्वाग्रह के बिना है

आयोग के लिए सामान्य दंड कानून के तहत शुरू किया जाना

उकसाना और साजिश सहित अपराध।

इस बुनियादी समस्या के साथ। प्रभावी ढंग से निपटने का कोई भी प्रयास यह सामाजिक-सांस्कृतिक घटना, जो अंधविश्वास में निहित है और

मौजूदा कानून की पर्याप्तता, और दंडात्मक और अन्य का उपयोग करने में ज्ञान जाति की शक्ति और आचरण पर अंकुश लगाने के लिए मंजूरी के उपाय

जोड़ता है। कानून जैसा कि यह खड़ा है, न तो निवारक के रूप में कार्य करता है

या जाति संयोजन पर एक गंभीर प्रभाव के रूप में और

सभाएँ जो खुद को सीमा से बाहर मानती हैं

कानून। जाति परिषदों के सदस्यों का सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण
या पंचायतें ऐसी होती हैं जिनके प्रति उनका सम्मान कम या कम होता है।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता "।

[जोर दिया गया]

26. विकल्पों और स्वतंत्रता की स्वायत्तता के पहलू पर प्रकाश डालते हुए, प्रस्तावित विधेयक का अंतर्निहित उद्देश्य जैसा कि कानून द्वारा कहा गया है मिशन निम्नानुसार है:

18] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 4.1 स्वयं से संबंधित मामलों में प्रत्येक व्यक्ति की स्वायत्तता-अपने स्वयं के विकल्पों और निर्णयों का एक स्वतंत्र और इच्छुक निर्माता, अब सामुदायिक व्यवस्था और संगठन पर सभी सोच के लिए केंद्रीय है। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह की स्वायत्तता अपने कई गुना के साथ

आयाम एक संवैधानिक रूप से संरक्षित मूल्य है और इसके लिए केंद्रीय है

किसी की भलाई का अभिन्न अंग एक स्वतंत्र सामाजिक व्यवस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है। व्यक्तिगत स्वायत्तता के खिलाफ जबरदस्ती तब कम से कम हो जाएगी। आवश्यक है।

4.2 सामाजिक परिवर्तन के क्षणों और अवधियों में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पिछली सामाजिक प्रथाओं के बीच तनाव समुदाय की चिंतन करने और कम से कम चोट पहुँचाने वाले या दर्दनाक समाधान प्रदान करने की क्षमता के केंद्र बिंदु बन जाते हैं। कुछ सामुदायिक दृष्टिकोणों और प्रथाओं की बुद्धिमत्ता या गलतता, स्वतंत्रता, स्वायत्तता और आत्म-मूल्य पर उनका आंतरिक प्रभाव, साथ ही साथ आवेगपूर्ण और गैर-चिंतनशील विकल्पों पर माता-पिता की चिंता-ये सभी कारक आते हैं। विचार के अग्रभाग में।

4.3 हालाँकि, समस्या भयावह घटना है

सम्मान के नाम पर दमनकारी सामाजिक प्रथाएं समुदाय के प्रभावशाली सदस्यों से हिंसक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करती हैं जो व्यक्तिगत स्वायत्तता के प्रति अंधे हैं। .....

99

27. इस प्रकार, रिपोर्ट अपराध के विनाशकारी प्रभाव और किसी व्यक्ति की पसंद के अधिकार और उक्त स्वतंत्रता पर सामूहिक नियंत्रण पर विनाशकारी प्रभाव को दर्शाती है। आयोग ने शक्तिशाली समुदाय के तीव्र दबाव पर जोर दिया है और कहा है कि कैसे वे "पापी जोड़ों" को उनकी सामाजिक-सांस्कृतिक धारणा और सामुदायिक सम्मान के अनुसार दंडित करते हैं और उनके द्वारा की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप व्यक्तियों के अधिकार समाप्त हो जाते हैं जो संविधान के तहत गारंटीकृत हैं। इसने स्वयं से संबंधित मामलों में प्रत्येक व्यक्ति की स्वायत्तता और उक्त व्यक्ति के अभिन्न अधिकार की अभिव्यक्ति के बारे में स्पष्ट रूप से प्रचार किया है।

28. यह ध्यान दिया जाए कि मसौदा विधेयक "खाप पंचायत" को संदर्भित करता है जिसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो इकट्ठा हुआ है, इकट्ठा हुआ है या इकट्ठा हुआ है। किसी भी विवाह की निंदा करने के दृष्टिकोण या इरादे के साथ किसी भी समय एकत्रित होना, जिसमें एक

प्रस्तावित विवाह भी शामिल है, जो कानून द्वारा निषिद्ध नहीं है, इस आधार पर कि इस तरह के विवाह ने जाति या सामुदायिक परंपरा का अपमान किया है।

विकृत विचार की अभिव्यक्ति, अपने सबसे खराब और अमानवीय क्रूरता पर अहंकार। 30. लता सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य 1, दो-न्यायाधीशों की पीठ, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका पर विचार करते हुए

संविधान, जो एक मुकदमे को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र और/या आदेश पत्र जारी करने के लिए दायर किया गया था, ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका की अनुमति दी, जिसका जीवन और उसके पति का जीवन लगातार खतरे में था क्योंकि उसके भाई उन्हें धमकी दे रहे थे। न्यायालय ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत अंतर-जाति विवाह के लिए कोई रोक नहीं है और इसलिए, याचिकाकर्ता, उसके पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया था। अदालत ने इस बात पर भी निराशा व्यक्त की कि याचिकाकर्ता के भाइयों के खिलाफ गैरकानूनी और अपमानजनक कृत्यों के लिए कार्रवाई करने के बजाय, पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की।

पति और उसकी साली। अपनी जाति के बाहर शादी करने वाली महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और हिंसा से अवगत होने पर, अदालत ने कहा:

" 17. ..... यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है, और एक बार एक व्यक्ति

मेजर बन जाता है और वह जिससे चाहे शादी कर सकता है। यदि लड़के या लड़की के माता-पिता इस तरह के अंतर-जाति या अंतर-धार्मिक विवाह को मंजूरी नहीं देते हैं, तो वे अधिकतम यह कर सकते हैं कि वे बेटे या बेटी के साथ सामाजिक संबंध तोड़ सकते हैं, लेकिन वे धमकी नहीं दे सकते हैं या हिंसा के कृत्य नहीं कर सकते हैं या भड़का नहीं सकते हैं।

उस व्यक्ति को परेशान करना जो इस तरह के अंतर-जाति या अंतर-धार्मिक विवाह से गुजरता है। ..... ' 99

31. ऐसा कहने के बाद, दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने निर्देश दिया कि

देश भर में प्रशासन/पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि यदि कोई लड़का या लड़की, जो एक वयस्क है, किसी वयस्क महिला या पुरुष के साथ अंतर-जाति या अंतर-धार्मिक विवाह करता है, तो दंपति को न तो किसी द्वारा परेशान किया जाता है और न ही धमकी दी जाती है या हिंसा के कृत्य किए जाते हैं, और जो कोई भी इस तरह की धमकी देता है या उत्पीड़न करता है या हिंसा के कृत्य करता है, उसे खुद या उसके उकसावे पर आपराधिक स्थापित करके कार्रवाई की जाती है।

4 (2006) 5 एससीसी 475 [2018] 3 एस. सी. आर.

ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाती है और कानून द्वारा प्रदान किए गए ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आगे की कड़ी कार्रवाई की जाती है। आगे विचार करते हुए, न्यायालय ने दर्दनाक रूप से कहा:

" 18. हम कभी-कभी ऐसे व्यक्तियों की "ऑनर किलिंग" के बारे में सुनते हैं जो अपनी मर्जी से अंतर-जाति या अंतर-धार्मिक विवाह करते हैं। इस तरह की हत्याओं में कुछ भी सम्मानजनक नहीं है, और वास्तव में वे क्रूर, सामंती दिमाग वाले व्यक्तियों द्वारा की गई बर्बर और शर्मनाक हत्या के अलावा और कुछ नहीं हैं जो कठोर सजा के पात्र हैं। केवल इस तरह से हम बर्बरता के ऐसे कृत्यों को समाप्त कर सकते हैं।

32. अरुमुगम सर्वई बनाम। तमिलनाडु राज्य ', न्यायालय ने लता सिंह के मामले में की गई टिप्पणियों का उल्लेख किया और राय दी:

" 12. हाल के वर्षों में हमने "खाप पंचायतों" (जिन्हें तमिलनाडु में "कट्टा पंचायतों" के रूप में जाना जाता है) के बारे में सुना है जो अक्सर आदेश देते हैं या विभिन्न जातियों और धर्मों के लड़कों और लड़कियों पर संस्थागत तरीके से ऑनर किलिंग या अन्य अत्याचारों को प्रोत्साहित करना, जो चाहते हैं

शादी करना या शादी कर ली है, या लोगों के निजी जीवन में हस्तक्षेप करना। हमारा मानना है कि यह पूरी तरह से अवैध है और इसे बेरहमी से समाप्त किया जाना चाहिए। जैसा कि लता सिंह के मामले में पहले ही कहा जा चुका है, ऑनर किलिंग या अन्य अत्याचारों में कुछ भी सम्मानजनक नहीं है और वास्तव में यह बर्बर और शर्मनाक हत्या के अलावा और कुछ नहीं है। क्रूर, सामंती दिमाग वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए लोगों के व्यक्तिगत जीवन के संबंध में अन्य अत्याचार कठोर सजा के योग्य हैं। केवल इस तरह से हम बर्बरता और सामंती मानसिकता के ऐसे कृत्यों को समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, ये अधिनियम कानून को अपने हाथों में ले लेते हैं, और कंगारू अदालतों के बराबर होते हैं, जो पूरी तरह से अवैध हैं।

33. ऐसा कहने के बाद, अदालत ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को इस तरह के नृशंस कृत्यों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया। यदि ऐसी घटनाएँ होती हैं, तो अत्याचारों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के अलावा, राज्य सरकार को जिले के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर और एसएसपी/एसपी के साथ-साथ अन्य संबंधित अधिकारियों को तुरंत निलंबित करने और उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर करने और उनके खिलाफ विभागीय रूप से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था, यदि वे (1) घटना को नहीं रोकते हैं, अगर यह पहले से नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें इसकी पहले से जानकारी है, या (2) यदि ऐसा हुआ है, तो वे तुरंत कार्रवाई नहीं करते हैं।

अपराधी और अन्य शामिल हैं और उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करते हैं। यह ध्यान दिया जाए कि उक्त मामले में, न्यायालय ने अपीलार्थियों पर टिप्पणी की कि उन्होंने असभ्य बर्बरों की तरह व्यवहार किया था और वे किसी दया के योग्य नहीं थे।

3 (2011) 6 एस. सी. सी. 405 शक्ति वाहिनी बनाम

भारत और अन्य का संघ [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

34. न्यायालय के उपरोक्त दृष्टिकोण पर भगवान दास बनाम में और जोर दिया गया था। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) जिसमें यह कहा गया है

कि बहुत से लोग महसूस करते हैं कि वे व्यवहार से अपमानित हैं युवा पुरुष/महिला जो उनसे संबंधित है या उनकी जाति से संबंधित है, केवल इसलिए कि वह उनकी इच्छा के खिलाफ शादी कर रहा है या किसी के साथ संबंध बना रहा है, और इसलिए वे कानून को अपने हाथों में लेते हैं और ऐसे व्यक्ति की हत्या या शारीरिक हमला करते हैं या कुछ अन्य अत्याचार करते हैं जो

पूरी तरह से अवैध। बेटी या अन्य व्यक्ति के व्यवहार से अप्रसन्नता की अभिव्यक्ति के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि एक व्यक्ति अधिकतम उसके साथ सामाजिक संबंध तोड़ सकता है, लेकिन वह हिंसा करके या हिंसा की धमकी देकर कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकता है।

35. इन रे: भारतीय महिला का कहना है कि गाँव के आदेश पर सामूहिक बलात्कार किया गया

बिजनेस एंड फाइनेंशियल न्यूज दिनांक 23-1-20147 में प्रकाशित न्यायालय, अदालत ने लता सिंह (ऊपर), अरुमुगम सरवाई (ऊपर) का उल्लेख करने और विधि आयोग की 242 वीं रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद राय दी:

और फिर से: " 18. इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में, शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से एक बड़े सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है। सरकार को महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए नीतियां बनानी होंगी और उन्हें लागू करना होगा, लैंगिक समानता की आवश्यकता के प्रति पुलिस और अन्य संबंधित पक्षों को संवेदनशील बनाना होगा और यह उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके किया जाना चाहिए जहां सांख्यिकीय रूप से लैंगिक समानता की आवश्यकता है।

महिलाओं के खिलाफ अपराधों का उच्च प्रतिशत।

36. विकास यादव बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, दो-न्यायाधीश पीठ, में सजा की मात्रा पर ध्यान देते हुए

6 (2011) 6 एस. सी. सी. 396

7 (2014) 4 एस. सी. सी. 786 8 (2016) 9 एससीसी 541 [2018] 3 एस. सी. आर.

मामला जहां बहन द्वारा चुने गए युवक की उस भाई द्वारा हत्या कर दी गई थी जिसने अच्छे शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा प्राप्त की थी,

यह देखा गया कि अभियुक्त व्यक्तियों ने सदियों से अपमानजनक भावनाओं और रवैये को छोड़ने की क्षमता विकसित नहीं की थी। शायद, उन्होंने यह कल्पना की थी कि यह एक विचार है कि कौन सा समय प्राचीन काल से आया था और अनंत काल तक रहना चाहिए। आगे बढ़ते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" 75. किसी को लग सकता है कि "मेरा सम्मान मेरा जीवन है" लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे की कीमत पर अपने सम्मान को बनाए रखा जाए। आज़ादी,

स्वतंत्रता, संवैधानिक पहचान, व्यक्तिगत पसंद और एक महिला के बारे में विचार, चाहे वह पत्नी हो या बहन या बेटी या मां, को निश्चित रूप से कम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

अपने स्वयं के सम्मान के नाम पर बल या धमकी या मानसिक क्रूरता। इसके अलावा, न तो परिवार के सदस्यों और न ही सामूहिक सदस्यों को लड़की द्वारा चुने गए लड़के पर हमला करने का कोई अधिकार है। उसकी व्यक्तिगत पसंद उसका आत्म-सम्मान है और इसमें सेंध लगाना उसके सम्मान को नष्ट कर रहा है। और उसकी पसंद को समाप्त करके तथाकथित भाईचारे या पिता के सम्मान या वर्ग सम्मान को लागू करना अत्यधिक क्रूरता का अपराध है, विशेष रूप से, जब यह एक भेष में किया जाता है। यह "सम्मान" की एक दोषपूर्ण, निंदनीय और निंदनीय धारणा है, जो मध्ययुगीन जुनूनी दावों की तुलना में है।

37. आशा रंजन बनाम। बिहार राज्य और अन्य, न्यायालय ने एक अलग संदर्भ में कहा:

" 61. ..... जीवन में अपना साथी चुनने में महिला का चयन एक वैध संवैधानिक अधिकार है। यह व्यक्तिगत पसंद पर आधारित है जिसे अनुच्छेद 19 के तहत संविधान में मान्यता प्राप्त है, और इस तरह के अधिकार से "वर्ग सम्मान" या "सामूहिक सोच" की अवधारणा के आगे झुकने की उम्मीद नहीं की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्ग सम्मान की भावना है

कोई वैधता नहीं है, भले ही इसका अभ्यास कुछ लोगों के अधीन सामूहिक रूप से किया जाता है।

एक तरह की धारणा "।

38. यू. पी. राज्य बनाम कृष्ण मास्टर और अन्य ने उच्च न्यायालय के बरी करने के फैसले को दरकिनार करते हुए अभियुक्त व्यक्तियों को आजीवन कारावास और जुर्माने का दोषी ठहराया।

रु. 25,000 / - . इसने कहा कि छह व्यक्तियों की हत्या और परिवार के सम्मान की रक्षा के तुच्छ आधार पर लगभग पूरे परिवार का सफाया करना इस अदालत द्वारा विकसित 'दुर्लभ से दुर्लभतम' मामले के अंतर्गत आएगा। 9 9 (2017) 4 एससीसी 397

10 एयर 2010 एससी 3071 शक्ति वाहिनी बनाम।

और, इसलिए, विचारण न्यायालय उत्तरदाताओं पर मृत्युदंड अधिरोपित करने में पूरी तरह से उचित था। हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह घटना बीस साल पहले हुई थी, यह पारित नहीं हुई। मौत की सजा सुनाई गई लेकिन आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उक्त निर्णय "ऑनर किलिंग" के कारण होने वाले अपराध की गंभीरता को दर्शाता है।

39. उपरोक्त अधिकारी उस पीड़ा को दर्शाते हैं जिससे न्यायालय ने सम्मान के लिए किए गए अपराधों को देखा है और इस तरह के सामाजिक लक्षणों पर अंकुश लगाने के लिए बेचैनी और चिंता को भी दर्शाता है। अवलोकन किए गए थे और उन मामलों में निर्देश जारी किए गए थे जहां सम्मान पर आधारित अपराध से निपटने की आवश्यकता थी। लेकिन, वर्तमान मामला, इसके विपरीत, ऑनर किलिंग और इसकी क्रूरता और मूल के इर्द-गिर्द केंद्रित है।

उक्त खतरे को नष्ट करने के लिए किए जाने वाले उपाय। संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन इस मुद्दे का आधार है। अधिकारों की रक्षा महत्वपूर्ण है। हालाँकि सामाजिक प्रगति निरंतर होती रही है, फिर भी ऑनर किलिंग की समस्या उसी तरह बनी हुई है जैसे इतिहास ने 1750 ईसा पूर्व में हम्मुराबी की संहिता के तहत देखा था। इस तरह के अपराधों में शामिल लोग इस तथ्य से पूरी तरह से अनजान हो जाते हैं कि वे एक अवैध रास्ते पर नहीं चल सकते हैं, कानून नहीं तोड़ सकते हैं और अपने स्वयं के किसी प्रकार के नैतिक दर्शन के साथ औचित्य प्रदान नहीं कर सकते हैं। वे भूल जाते हैं कि देश के कानून की आवश्यकता है कि उन्हें अंतर्निहित आज्ञाकारिता और गहरा नमन दिखाया जाना चाहिए। बेटी, भाई, बहन या बेटे के मानवाधिकार गिरवी नहीं रखे जाते हैं। परिवार या कबीले या सामूहिक के तथाकथित या तथाकथित सम्मान के लिए। ऑनर किलिंग का कार्य कानून के शासन को एक विनाशकारी संकट में डाल देता है।

40. यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ऑनर किलिंग एकमात्र प्रकार का अपराध नहीं है जो की गई कार्रवाई और फैसले से जुड़ा हुआ है।

खाप पंचायतों द्वारा घोषित। यह एक कब्र है लेकिन अकेला नहीं है। यह ऑनर क्राइम का हिस्सा है। यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि ऑनर क्राइम जीनस है और ऑनर किलिंग प्रजाति है, हालांकि इसका एक खतरनाक पहलू है। तथापि, यह बिना किसी विरोधाभास के भय के कहा जा सकता है कि सम्मान के नाम पर किसी भी प्रकार की यातना या यातना या दुर्व्यवहार जो किसी भी सभा द्वारा प्रेम और विवाह से संबंधित किसी व्यक्ति की पसंद के ह्रास के समान है, चाहे वह कोई भी नामकरण मान ले, अवैध है और इसे अस्तित्व के एक क्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

41. स्पष्ट करने के लिए, हमने यहाँ ऊपर जो कहा है, वह यह है कि [2018] 3 एस. सी. आर. के बाद परिवार या समुदाय या कबीले की सहमति आवश्यक नहीं है।

दोनों वयस्क व्यक्ति विवाह करने के लिए सहमत हो जाते हैं। उनकी सहमति को पवित्रता से प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि किसी दंडात्मक कानून के कारण किसी के द्वारा किया गया अपराध है, तो उसका निर्णय कानून के अनुसार किया जाना चाहिए जिसे आपराधिकता का निर्धारण कहा जाता है। यह न्याय प्रदान करने के लिए अनौपचारिक संस्थानों के लिए किसी भी स्थान को मान्यता नहीं देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 'कानून के शासन' द्वारा शासित राजनीति केवल ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए स्थापित औपचारिक संस्थानों द्वारा अधिकारों के निर्धारण और उनके उल्लंघन को स्वीकार करती है। यह लगातार ध्यान में रखना होगा कि एक अवधारणा के रूप में कानून का शासन समाज में व्यवस्था रखने के लिए होता है। यह मानवाधिकारों का सम्मान करता है। इसलिए, खाप पंचायत या किसी भी नामकरण की कोई भी पंचायत उक्त अधिकार के प्रयोग में सेंध नहीं लगा सकती है।

42. इस संबंध में, हम कर्तार सिंह बनाम के एक अंश को सार्थक रूप से पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं। पंजाब राज्य '1 जिसमें सी. जी. वीरामेंट्री ने' संकट में कानून-समझ के पुल 'में सामाजिक हित प्राप्त करने में कानून के शासन के महत्व पर जोर देते हुए कहा है:

" कानून के शासन के तहत नागरिकों को जो सुरक्षा मिलती है, वह बीस शताब्दियों के मानव संघर्ष का सार है। यह आम तौर पर महसूस नहीं किया जाता है कि ये कितनी आसानी से खो सकते हैं। वहाँ कोई नहीं है

उन्हें बनाए रखने का ज्ञात तरीका लेकिन शाश्वत सतर्कता। ऐसा कोई ज्ञात अधिकार नहीं है जिसे यह कर्तव्य सौंपा जा सके, लेकिन स्वयं समुदाय को। इस सतर्कता को प्रोत्साहित करने का कोई ज्ञात साधन नहीं है, बल्कि अपनी कानूनी प्रणाली, इसकी उपलब्धियों और इसकी समस्याओं में एक प्रबुद्ध रुचि की दिशा में समुदाय की शिक्षा है।

ऑनर किलिंग व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पसंद की स्वतंत्रता और पसंद की अपनी धारणा को दर्शाता है। यह ध्यान में रखना होगा कि जब दो वयस्क सहमति से एक-दूसरे को जीवन साथी के रूप में चुनते हैं, तो यह उनकी पसंद की अभिव्यक्ति है जिसे संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मान्यता प्राप्त है। इस तरह के अधिकार को संवैधानिक कानून की मंजूरी है और एक बार जब इसे मान्यता मिल जाती है, तो उक्त अधिकार की रक्षा करने की आवश्यकता होती है और यह वर्ग सम्मान या सामूहिक सोच की अवधारणा के आगे नहीं झुक सकता है, जिसकी कल्पना किसी ऐसी धारणा पर की जाती है कि इसकी कोई वैधता नहीं है।

43. स्वतंत्रता की अवधारणा को संवैधानिक संवेदनशीलता, संरक्षण और इसके मूल्यों की कसौटी पर तौलना और परखना होगा। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की उत्साहपूर्वक रक्षा करना एक प्रहरी के रूप में संवैधानिक न्यायालयों का दायित्व है।

1 (1994) 3 एस. सी. सी. 569 शक्ति वाहिनी बनाम।

भारत और अन्य का संघ [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

एक व्यक्ति के गरिमापूर्ण अस्तित्व का स्वतंत्रता के साथ एक अविभाज्य संबंध है। स्वतंत्रता के निर्वाह के बिना, कानून के संवैधानिक रूप से वैध प्रावधानों के अधीन, किसी व्यक्ति का जीवन जीवित मृतकों को बिना विरोध और सहन किए क्रूरता और यातना सहन करने के बराबर है। असहमति या असहमति दर्ज करने के लिए आवाज के बिना विचारों और विचारों को लागू करना। गरिमापूर्ण अस्तित्व की मूल विशेषता गरिमा के लिए जोर देना है जिसमें देवत्व की चिंगारी है और बिना किसी प्रकार के अधीनता के कानून के मापदंडों के भीतर पसंद की प्राप्ति है। स्वतंत्रता के ढांचे के भीतर व्यक्तिगत गरिमा और पसंद की अवधारणाओं पर जोर देने का उद्देश्य सर्वोपरि है। हम स्पष्ट रूप से और दृढ़ता से कह सकते हैं कि गरिमा और पसंद के बिना जीवन और स्वतंत्रता एक ऐसी घटना है जो खोखलेपन को दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है।

किसी व्यक्ति की पहचान की संवैधानिक मान्यता।

44. एक व्यक्ति का चुनाव गरिमा का एक अटूट हिस्सा है,

गरिमा के लिए यह नहीं सोचा जा सकता है कि पसंद का क्षरण कहाँ है। यह सच है कि यह संवैधानिक सीमा के सिद्धांत से बंधा है, लेकिन इस तरह की सीमा के अभाव में, किसी को भी, हमारा मतलब है, उक्त विकल्प के फलने-फूलने में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर व्यक्त करने का अधिकार है

किसी की अपनी पसंद बाधित होती है, इसकी पवित्र पूर्णता में गरिमा के बारे में सोचना बेहद मुश्किल होगा। जब दो वयस्क अपनी इच्छा से शादी करते हैं, तो वे अपना रास्ता चुनते हैं। संबंध; उन्हें लगता है कि यह उनका लक्षय है और उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। और यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि उनके पास अधिकार है और कोई भी

उक्त अधिकार का उल्लंघन संवैधानिक उल्लंघन है। वर्ग या कबीले के उच्च सम्मान के नाम पर बहुमत उनकी मांग नहीं कर सकता है

उनकी उपस्थिति या उनके रूप को मजबूर करना जैसे कि वे किसी अवर्णनीय युग के सम्राट हैं जिनके पास किसी भी सजा को लागू करने और उसी के निष्पादन को निर्धारित करने के लिए शक्ति, अधिकार और अंतिम कहने का अधिकार है जिस तरह से वे चाहते हैं कि संभवतः यह धारणा हो कि वे एक कानून हैं।

स्वयं या वे सीज़र के पूर्वज हैं या, उस मामले के लिए, लुई XIV। इस देश का संविधान और कानून ऐसा नहीं करते हैं

इस तरह के कार्य को स्वीकार करना और वास्तव में, पूरी गतिविधि अवैध है और आपराधिक कानून के तहत अपराध के रूप में दंडनीय है।

45. "खाप पंचायतों" की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उन्हें इस नाम से बुलाना गलत है। नामकरण है बिल्कुल अप्रासंगिक। वास्तव में जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि कुछ मुख्य समूहों की सभा मिलती है, बुलाती है और बलपूर्वक उपस्थिति सुनिश्चित करती है [2018] 3 एस. सी. आर.

दंपति और परिवार के सदस्यों के लिए और फिर निर्णय लेते हैं और सजा देते हैं। उनका आगे कहना है कि ये पंचायतें अनुमति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं अंतर-समुदाय और अंतर-जाति विवाह और वे बड़े पैमाने पर लोगों को यह भी बताते हैं कि कैसे "सपिंडा" और "सगोत्र" विवाहों को कानून की कोई मंजूरी नहीं है। प्रस्तावों को विशाल शिल्प के साथ संरचित किया गया है और

भारी उत्साह और उत्साह के साथ आगे बढ़े लेकिन उक्त प्रस्तावों के पीछे की भ्रांति को आसानी से समझा जा सकता है। यह तर्क इस आधार पर आधारित है कि इस न्यायालय के कुछ वैधानिक प्रावधान और कुछ निर्णय हैं जो विवाह के लिए निषेधात्मक डिग्री निर्धारित करते हैं और लिंग अनुपात बनाए रखने के लिए कुछ दिशानिर्देश प्रदान करते हैं और कन्या भ्रूण हत्या के लिए कोई भत्ता नहीं देते हैं जो लिंग निर्धारण का एक परिणामी प्रभाव है जो इस अधिनियम के तहत निषिद्ध है।

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन पर निषेध) अधिनियम, 1994 (संक्षेप में 'पी. सी. पी. एन. डी. टी. अधिनियम') (देखें - स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन पंजाब बनाम भारत संघ और अन्य 1 2 और स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन पंजाब बनाम भारत संघ और अन्य लोग)।

46. पहला तर्क बिना अधिक चर्चा के खारिज किए जाने योग्य है। यह कहने के लिए पर्याप्त है, यही वैवाहिक स्थिति की मान्यता से संबंधित है। यदि यह कानून में निषिद्ध है, तो अदालतों से संपर्क करने पर कानून इस पर ध्यान देगा। इसी तरह, पी. सी. पी. एन. डी. टी. अधिनियम एक पूर्ण संहिता है। इसके अलावा, लिंगानुपात को बनाए रखने के लिए जागरूकता फैलाने में इस न्यायालय की चिंता लिंग निर्धारण के लिए नहीं है और इसके परिणामस्वरूप महिला

भ्रूण हत्या। इसका विवाह की संस्था से कोई लेना-देना नहीं है।

47. 'खाप पंचायतों' या ऐसी विधानसभा को कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए और आगे कानून के चरित्र को नहीं अपनाना चाहिए।

किसी भी कानून के तहत। कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून को बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आई. पी. सी. के तहत कोई अपराध किया जाता है, तो लोगों की सभा सजा नहीं दे सकती है। उनके पास कोई अधिकार नहीं है। उन्हें प्राथमिकी दर्ज करने या पुलिस को सूचित करने का अधिकार है। वे सुविधा भी प्रदान कर सकते हैं ताकि आरोपी के साथ उसी के अनुसार व्यवहार किया जा सके। कानून के साथ। लेकिन, यह रुख रखते हुए कि वे जागरूकता फैला रहे हैं, वे वास्तव में न तो दूसरों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं और न ही

अपने अवैध कृत्यों को छिपाएँ। बस इसकी अनुमति नहीं है। वास्तव में, इसकी कानून के लिए घृणित कार्य के रूप में निंदा की जानी चाहिए और इसलिए, इसे करना होगा

13 (2016) 10 एस. सी. सी. 265 शक्ति वाहिनी बनाम

रुकिए। उनकी गतिविधियों को पूरी तरह से रोका जाना चाहिए। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जो अवैध है वह मान्यता या स्वीकृति की सराहना नहीं कर सकता है।

48. ऑनर क्राइम की क्रूरता को ध्यान में रखते हुए और

समाज पर इस तरह के अपराधों के विनाशकारी प्रभाव को देखते हुए, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देश जारी करना वांछनीय है। हम ऐसा सोचने के लिए तैयार हैं क्योंकि यह राज्य का दायित्व है कि वह ऐसा वातावरण बनाए जहाँ नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का आनंद लेने की स्थिति में हों। इस संदर्भ में, एस. रंगराजन बनाम का एक अंश। पी.

जगजीवन राम और अन्य 1 4 पुनः प्रस्तुत करने योग्य है:

" 51. हम फिल्म के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए रुख से खुश हैं लेकिन परेशान हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार। हम यह दुखी करने वाला सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर राज्य इसकी रक्षा के लिए ध्यान नहीं देता है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा का क्या फायदा है? यदि फिल्म आपत्तिजनक नहीं है और अनुच्छेद 19 (2) के तहत संवैधानिक रूप से प्रतिबंधित नहीं की जा सकती है, तो

धमकी के कारण अभिव्यक्ति को दबाया नहीं जा सकता है

प्रदर्शन और जुलूस या हिंसा की धमकी। यह कानून के शासन को नकारने और ब्लैकमेल और धमकी के सामने आत्मसमर्पण करने के समान होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है क्योंकि यह राज्य के खिलाफ गारंटीकृत स्वतंत्रता है। राज्य शत्रुतापूर्ण दर्शकों की समस्या को संभालने में अपनी असमर्थता का दावा नहीं कर सकता है। इसे रोकना और उसकी रक्षा करना इसका अनिवार्य कर्तव्य है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता "।

हम इस बात से पूरी तरह अवगत हैं कि उपरोक्त अनुच्छेद एक अलग मौलिक अधिकार के संबंध में कहा गया है, लेकिन उक्त सिद्धांत

उनमें खाई डालें। 49. हम यहां यह भी मान सकते हैं कि किसी भी रचनात्मक कार्य में शामिल होने के लिए प्रतिबद्ध एक विधानसभा या पंचायत जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है, वह खाप पंचायत के समान नहीं होगी। ऑनर किलिंग सहित ऑनर क्राइम की चुनौतियों का सामना करने के लिए निर्देश जारी करने से पहले, यह आवश्यक है

उल्लेखनीय है कि 2014 और 2016 के बीच ऑनर किलिंग के 288 मामले दर्ज किए गए थे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन. सी. आर. बी.) के आंकड़ों के अनुसार, 2014 में ऑनर किलिंग के 28 मामले, 2015 में 192 और वर्ष 2016 में 68 मामले दर्ज किए गए थे।

50. हम लाभ के साथ नोट कर सकते हैं कि ऑनर किलिंग की गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में निंदा की जाती है और कुछ लोगों द्वारा संबोधित किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय उपकरण। महिलाओं और घरेलू हिंसा के खिलाफ हिंसा की रोकथाम और मुकाबला करने पर यूरोप कन्वेंशन की परिषद इस मुद्दे को संबोधित करती है। अनुच्छेद 42 इस प्रकार कहता है:

" अनुच्छेद 42-अपराधों के लिए अस्वीकार्य औचित्य, सहित

तथाकथित "सम्मान" के नाम पर किए गए अपराध

1. पार्टियां यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक विधायी या अन्य उपाय करेंगी कि हिंसा के किसी भी कृत्य के होने के बाद शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही में

इस कन्वेंशन की संस्कृति, रीति-रिवाज, धर्म, परंपरा या तथाकथित "सम्मान" को ऐसे कार्यों के लिए औचित्य नहीं माना जाएगा। इसमें विशेष रूप से यह दावा किया गया है कि पीड़ित ने सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक या पारंपरिक मानदंडों या उचित व्यवहार के रीति-रिवाजों का उल्लंघन किया है। 2. पार्टियां यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक विधायी या अन्य उपाय करेंगी कि पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा बच्चे को उकसाने से कम नहीं होगा।

किए गए कृत्यों के लिए उस व्यक्ति का आपराधिक दायित्व।

51. एक बार जब मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति में निहित हो जाता है, तो

असहिष्णु समूह जो श्रेष्ठता वर्ग परिसर या उच्च कबीले के दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं, वे किसी भी प्रकार के दर्शन, नैतिक या सामाजिक, या स्व-घोषित उन्नयन पर झुककर किसी व्यक्ति के अधिकार को बाधित नहीं कर सकते हैं। इसलिए, युवा जोड़ों या किसी के भी वैध अधिकारों के निर्वाह के लिए उनके साथ संबद्ध और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षक और रक्षक के रूप में इस न्यायालय की भूमिका को ध्यान में रखते हुए और आगे एक ऐसे वातावरण की शुरुआत करने के लिए जहां सामूहिक खतरे के कारण विवाह में जाने का डर दूर हो, यह आवश्यक है कि

निर्देश जारी करें और हम ऐसा लक्ष्मीकांत पांडे बनाम में बताए गए सिद्धांत की नींव पर करते हैं। भारत संघ ", विशाखा और अन्य बनाम। राजस्थान राज्य और अन्य 16 और प्रकाश सिंह और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य 1 7. 1 5 (1984) 2 एससीसी 244

16 (1997) 6 एस. सी. सी. 241

17 (2006) 8 एस. सी. सी. 1 शक्ति वाहिनी बनाम।

52. यह ध्यान देने योग्य है कि "सती" और "दहेज" जैसे सामाजिक खतरों को दूर करने के लिए कुछ कानून अस्तित्व में आए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे कानून हमारे संविधान के अनुरूप हैं। इसी तरह, मानवाधिकारों का संरक्षण हमारे संविधान का महत्वपूर्ण तत्व है जो मानवता का प्रतीक है और मानवता का उक्त वैचारिक प्रतीक किसी भी विचार या निषेध या आदेश का पूरी तरह से बहिष्कार करता है जो स्वतंत्रता की नींव पर और न्याय के आधार पर अपने अधिकारों का आनंद लेने वाले नागरिकों के अविभाज्य अधिकारों में खोखलापन पैदा करता है जो निष्पक्ष, न्यायसंगत और आनुपातिक है। मानव गरिमा पर कोई हमला नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कानून की महानता को दबाने की क्षमता है। इसलिए, हम विधायिका को उपयुक्त रूप से कानून लाने की सिफारिश करेंगे

ऑनर किलिंग का क्षेत्र। इस संबंध में, हम उपयोगी रूप से उस न्यायालय का उल्लेख कर सकते हैं जिसमें इस न्यायालय ने ऐसी सिफारिश की है। में।

समरेंद्र बेउरा बनाम। भारत संघ और अन्य, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 16. हालांकि इस तरह के संशोधन संसद द्वारा किए गए हैं

1950 के अधिनियम और 1957 के अधिनियम के तहत, अभी तक वायु सेना अधिनियम, 1950 में ऐसा कोई संशोधन शामिल नहीं किया गया है। उपरोक्त जैसा कि हम समझते हैं, कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को कठिनाई से बचने के लिए दोनों कानूनों में प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसी तरह की कठिनाई उन व्यक्तियों को होती है जो

अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत कारावास की सजा सुनाई गई। अन्य दो में उपरोक्त संशोधन को ध्यान में रखते हुए

अधिनियमों और संशोधन के उद्देश्य और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, हम भारत संघ से अधिनियम में संशोधन लाने के लिए गंभीरता से विचार करने की सिफारिश करना उचित समझते हैं ताकि कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को होने वाली कठिनाइयों से बचा जा सके।

53. श्री गौरव अग्रवाल द्वारा सहायता प्राप्त वरिष्ठ वकील श्री राजू रामचंद्रन ने जारी करने के लिए कुछ सुझाव दायर किए हैं।

दिशानिर्देश। भारत संघ ने भी कुछ सुझाव दिए हैं जिन्हें कानून बनने तक ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऑनर क्राइम के दर्दनाक प्रभाव की चुनौतियों का सामना करने के लिए, हम सोचते हैं कि निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक उपाय होने चाहिए और तदनुसार, हम संबंधित राज्यों की कार्यपालिका और पुलिस प्रशासन को व्यापक रूप और स्वतंत्रता के साथ तौर-तरीकों के बारे में बताते हैं ताकि बताए गए उद्देश्यों के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करने के लिए और उपाय किए जा सकें।

18 (2013) 14 एससीसी 672 [2018] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

I. निवारक कदम:

(क) राज्य सरकारों को तुरंत उन जिलों, उप-मंडलों और/या गाँवों की पहचान करनी चाहिए जहाँ ऑनर किलिंग या ऑनर किलिंग की घटनाएं होती हैं। खाप पंचायतों की विधानसभा हाल के दिनों में दर्ज की गई है, उदाहरण के लिए, पिछले पांच वर्षों में।

(ख) संबंधित राज्यों के गृह विभाग का सचिव राज्य के पुलिस अधीक्षक को निर्देश/सलाह जारी करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि चिन्हित क्षेत्रों के पुलिस स्टेशनों के प्रभारी अधिकारी किसी भी मामले में अतिरिक्त सतर्क हैं, संबंधित जिले

उनके अधिकार क्षेत्र में अंतर-जाति या अंतर-धार्मिक विवाह उनके ध्यान में आता है।

(ग) यदि खाप की किसी प्रस्तावित सभा के बारे में जानकारी हो।

पंचायत किसी भी पुलिस अधिकारी या जिला प्रशासन के किसी अधिकारी की जानकारी में आती है, वह तुरंत अपने तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करेगी और साथ ही साथ अधिकार क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को भी सूचित करेगी।

(घ) ऐसी जानकारी प्राप्त करने पर, पुलिस उपाधीक्षक (या राज्य द्वारा पहचाने गए ऐसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी)

क्षेत्र/जिले के संबंध में सरकारें) तुरंत खाप पंचायत के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी और उन पर प्रभाव डालेंगी ऐसी बैठक/सभा आयोजित करने की विधि में अनुमति नहीं है और ऐसी बैठक के साथ आगे बढ़ने से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उसे प्रभारी अधिकारी को उचित निर्देश जारी करने चाहिए

अधिकार क्षेत्र वाला पुलिस स्टेशन सतर्क रहेगा और यदि आवश्यक हो तो तैनात किया जाएगा

प्रस्तावित सभा को इकट्ठा होने से रोकने के लिए पर्याप्त पुलिस बल।

(ई) इस तरह के उपाय करने के बावजूद, यदि बैठक आयोजित की जाती है, तो पुलिस उपाधीक्षक व्यक्तिगत रूप से इस दौरान उपस्थित रहेंगे।

बैठक और सभा पर प्रभाव कि कोई निर्णय नहीं हो सकता है

दंपति या दंपति के परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान पहुँचाने के लिए लिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर आयोजकों के अलावा बैठक में भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि विधानसभा के सदस्यों की चर्चा और

भागीदारी की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए, जिसके आधार पर कानून लागू करने वाली मशीनरी उपयुक्त कार्रवाई का सहारा ले सकती है।

(च) यदि पुलिस उपाधीक्षक के साथ बातचीत के बाद

खाप पंचायत के सदस्यों के पास यह मानने का कारण है कि शक्ति वाहिनी बनाम।

सभा को रोका नहीं जा सकता है और/या दंपति या उनके परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुँचाने की संभावना है, वह तुरंत जिले के जिला मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। Cr.P.C के तहत निवारक कदम उठाने के आदेश जारी करने के लिए संबंधित क्षेत्र का सक्षम प्राधिकरण, जिसमें धारा 144 Cr.P.C के तहत निषेधात्मक आदेश लागू करना और धारा 151 Cr.P.C के तहत विधानसभा में प्रतिभागियों की गिरफ्तारी करना भी शामिल है।

(छ) भारत सरकार के गृह विभाग को पहल करनी चाहिए और राज्य सरकारों के साथ समन्वय में काम करना चाहिए।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संवेदनशील बनाना और इस तरह की हिंसा की रोकथाम के उपायों की पहचान करने और सामाजिक न्याय और कानून के शासन के संवैधानिक लक्षय को लागू करने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करना।

(ज) सभी हितधारकों के आवश्यक समन्वय के साथ एक संस्थागत तंत्र होना चाहिए। विभिन्न राज्य सरकारें

और केंद्र को इस तरह के वायोलेंस पर अंकुश लगाने के लिए सामाजिक पहल और जागरूकता को अनिवार्य करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संवेदनशील बनाने पर काम करना चाहिए।

II. उपचारात्मक उपाय:

(क) राज्य पुलिस द्वारा किए गए निवारक उपायों के बावजूद, यदि यह स्थानीय पुलिस के ध्यान में आता है कि खाप पंचायत ने यदि ऐसा हुआ है और इसने अंतर-जाति या अंतर-धार्मिक विवाह (या कोई अन्य विवाह जो उनकी स्वीकृति को पूरा नहीं करता है) के जोड़े/परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई आदेश पारित किया है, तो अधिकार क्षेत्र का पुलिस अधिकारी भारतीय दंड संहिता के उचित प्रावधानों के तहत तुरंत एफ. आई. आर. दर्ज कराएगा, जिसमें आई. पी. सी. की धारा 141,143,503 और 506 शामिल हैं।

(ख) एफ. आई. आर. के पंजीकरण पर, पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक को एक साथ सूचना दी जाएगी।

जो, बदले में, यह सुनिश्चित करेगा कि अपराध की प्रभावी जांच की जाए और शीघ्रता के साथ इसके तार्किक अंत तक ले जाया जाए।

(ग) इसके अतिरिक्त, दंपति/परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो उनकी सुरक्षा और खतरे की धारणा को ध्यान में रखते हुए उन्हें उसी जिले के भीतर या कहीं और एक सुरक्षित घर में ले जाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। राज्य सरकार विचार कर सकती है -

उस उद्देश्य के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक सुरक्षित घर स्थापित करना। इस तरह के सुरक्षित घर (i) युवा अविवाहित जोड़ों को समायोजित कर सकते हैं जिनके रिश्ते का उनके [2018] 3 एस. सी. आर. द्वारा विरोध किया जा रहा है।

परिवार/स्थानीय समुदाय/खाप और (ii) युवा विवाहित जोड़े (अंतर-जाति या अंतर-धार्मिक या किसी अन्य विवाह का उनके परिवारों/स्थानीय समुदाय/खापों द्वारा विरोध किया जाना)। ऐसे सुरक्षित घरों को क्षेत्राधिकार वाले जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में रखा जा सकता है और

पुलिस अधीक्षक। (घ) जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक को ऐसे जोड़े/परिवार को दी गई धमकी के संबंध में शिकायत से निपटना चाहिए।

अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ। सबसे पहले यह तय किया जाना चाहिए कि क्या कुंवारा-कुंवारा सक्षम वयस्क होते हैं। इसके बाद, यदि आवश्यक हो, तो उन्हें अपनी शादी को संपन्न करने और/या यदि वे चाहें तो पुलिस सुरक्षा के तहत विधिवत पंजीकृत होने के लिए रसद सहायता प्रदान की जा सकती है। इसके बाद

विवाह, यदि दंपति ऐसा चाहते हैं, तो उन्हें शुरू में एक महीने की अवधि के लिए सुरक्षित घर में मामूली शुल्क के भुगतान पर आवास प्रदान किया जा सकता है, जो मासिक आधार पर बढ़ाया जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक नहीं होगा, जो मामले-दर-मामले पर उनके खतरे के आकलन पर निर्भर करता है।

आधार।

(ई) दंपति (कुंवारा-अविवाहित या एक युवा विवाहित जोड़े) से प्राप्त शिकायत के बारे में प्रारंभिक जांच या

पुलिस अधीक्षक। वह प्रारंभिक जांच करेगा और खतरे की धारणा की प्रामाणिकता, प्रकृति और गंभीरता का पता लगाएगा। इस तरह की धमकियों की प्रामाणिकता के बारे में संतुष्ट होने पर, वह तुरंत एक सप्ताह के भीतर पुलिस अधीक्षक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। (च) जिला पुलिस अधीक्षक, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उप पुलिस अधीक्षक प्रभारी को निर्देश देगा

संबंधित उप-विभाग दंपति को धमकी देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज कराएगा और यदि आवश्यक हो तो Cr.P.C की धारा 151 लागू करेगा। इसके अतिरिक्त, पुलिस उपाधीक्षक व्यक्तिगत रूप से

जाँच की प्रगति की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि वही है

पूरा किया और शीघ्रता के साथ अपने तार्किक अंत तक ले जाया गया। जाँच के दौरान, संबंधित व्यक्तियों पर बिना किसी कार्रवाई के मामला दर्ज किया जाएगा।

विधानसभा में भाग लेने वाले सदस्यों सहित अपवाद। यदि खाप पंचायत के सदस्यों की भागीदारी आती है

इसके अलावा, उन पर साजिश या उकसाने के अपराध के लिए भी आरोप लगाया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

शक्ति वाहिनी बनाम। भारत और अन्य का संघ [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

III. दंडात्मक उपाय:

(क) पुलिस या जिला अधिकारी/अधिकारियों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में किसी भी तरह की विफलता को निम्नलिखित कार्य के रूप में माना जाएगा - जानबूझकर लापरवाही और/या कदाचार जिसके लिए सेवा नियमों के तहत विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए। विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी और पहली बार के प्राधिकरण द्वारा इसके तार्किक अंत तक, अधिमानत: छह महीने से अधिक नहीं, ले जाया जाएगा।

(ख) अरुमुगम सर्वई (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में, राज्यों को संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है यदि यह पाया जाता है कि (i) ऐसे अधिकारियों ने घटना की पूर्व जानकारी होने के बावजूद घटना को नहीं रोका, या (ii) जहां घटना पहले ही हो चुकी थी, ऐसे अधिकारियों ने दोषियों को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया और उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की।

(ग) राज्य सरकारें प्रत्येक राज्य में विशेष प्रकोष्ठ बनाएंगी।

जिला जिसमें पुलिस अधीक्षक, जिला समाज कल्याण अधिकारी और जिला आदि-द्रविड़ कल्याण अधिकारी शामिल हैं, अंतर-जातीय विवाह के जोड़ों के उत्पीड़न और धमकी की याचिकाएं/शिकायतें प्राप्त करेंगे।

(घ) ये विशेष प्रकोष्ठ ऐसी शिकायतें प्राप्त करने और दर्ज करने और आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए 24 घंटे की एक हेल्प लाइन बनाएँगे।

दंपति को सलाह और सुरक्षा।

(ई) दंपति (ओं) के लिए ऑनर किलिंग या हिंसा से संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई उस उद्देश्य के लिए निर्धारित नामित अदालत/फास्ट ट्रैक कोर्ट के समक्ष की जाएगी। अपराध का संज्ञान लेने की तारीख से छह महीने के भीतर अधिमानत: समाप्त होने के लिए मुकदमे को दिन-प्रतिदिन के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि यह निर्देश लंबित मामलों पर भी लागू होगा। संबंधित जिला न्यायाधीश उन मामलों को, जहाँ तक संभव हो, एक क्षेत्राधिकार न्यायालय को सौंपेगा ताकि उनका शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

उक्त अवधि के भीतर इस न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष अनुपालन दायर किया जाए। 55. तदनुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

याचि

का का निपटारा किया गया।

कल्पना के. त्रिपाठी